

v/; k; & 7
jkt; l jdkj ds foRr dh i qjpk

7.1.0 प्रस्तावना :

7.1.1 पिछले दो अध्यायों में हमने *NRrh x<+ jkt; ds foRr dh muds fofo/k vk; keka ea l ehkk* की है तथा *jktLo , oa i pthxr y[ka ds jktLo , oa 0; ; ds vkn'kbl vk/kkj ij i wkuoku* प्रस्तुत किये हैं। उनकी पृष्ठभूमि में अब हम राज्य सरकार के वित्त की पुनर्रचना की चर्चा करेंगे। पिछले अध्यायों में वित्त की समीक्षा एवं पूर्वानुमानों की प्रस्तुति दोनों वृहत आधार पर की गई थी। जिसका संबंध मुख्य रूप से राज्य सरकार के राजस्व एवं व्यय के समग्र स्वरूप से था तथा जिसका उद्देश्य राज्य की संपूर्ण राजकोषीय बनावट को रेखांकित करना था। पिछले अध्याय में भी विभिन्न वृहत चरों के बीच आपसी संबंधों के रूप में राज्य वित्त की पुनर्रचना संबंधी सुझाव भी वृहत स्तर पर दिये गये थे। अब हम *ogr l s l fe dh vkj pyrs gq s jktLo , oa 0; ; ds 0; fDrxr ?kVdka ds 0; ogkj , oa i kxi .k vof/k 2005&06 l s 2009&10 ds fy; s muds i wkuokuka ds l nhkz ea jkt; foRr dh i qjpk ds l qko* प्रस्तुत करेंगे।

7.1.2 हमारे द्वारा सुझाई गयी पुनर्रचना का राज्य की संवृद्धि एवं विकास प्रक्रिया पर काफी प्रभाव पड़ेगा। हम एक महत्वपूर्ण बिन्दु को पुनः दोहराना चाहेंगे, कि राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास का स्तर एवं उसकी वृद्धि दर अनेक कारकों पर निर्भर होती है, जैसे साधन जुटाने एवं सार्वजनिक व्यय के स्वरूप के बारे में राज्य की राजकोषीय नीति, निजी निवेश का अंतर्राज्यीय विभाजन, केन्द्रीय निवेश का अंतर्राज्यीय स्वरूप, केन्द्र से राज्यों को साधनों का अंतरण, प्रदाय व्यवस्था की दक्षता, तथा सत्ता में बैठी राजनैतिक पार्टी की नीतियों के क्रियान्वयन में

राजनैतिक इच्छा शक्ति। इन कारकों के बीच में अर्थव्यवस्था के विकास को निर्धारित करने वाले कारकों में से एक निर्णायक कारक **foRr dh i qj p u k** है।

7.1.3 राज्य को अपने **I kołtfud foRr** का ढाँचा तत्कालीन **e/; insk** राज्य से विरासत में मिला है। परन्तु राज्य को अनेक क्षेत्रों में अपने पूर्ववर्ती राज्य की तुलना में अग्रणी की भूमिका निभाने का श्रेय जाता है। राज्य वित्त की हमारी समीक्षा में स्पष्ट हुआ है, **fd jkT; foRr LoLFk voLFk ea gS** तथा आगे छलांग लगाने को तैयार है। **fi Nys v/; k; dh I kj.kh Ø- 6-11** ने **n'kkz k gS fd jkT; ds vf/kdldk jkt dkskh; pjka dk 0; ogkj] ns'k ds I Hkh jkT; ka ds vks r I s dkQh vPNk g**, परन्तु अभी भी कतिपय ऐसे कमजोर क्षेत्र हैं, जिन पर निगरानी एवं ध्यान रखना तथा जिनकी पुनर्रचना आवश्यक है।

7.1.4 एक गतिशील समाज में जहाँ तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, नई माँग निर्मित हो रही है, आंकाक्षायें काफी ऊँची हैं तथा जहाँ प्राथमिकतायें बदल रही हैं, वहाँ राज्य वित्त की पुनर्रचना एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिये।

7.1.5 **NRrhl x<+** की गिनती कम विकसित राज्यों में की जाती है। उसके पास अपर्याप्त एवं कमजोर अधो-संरचना है। उसके मानवीय संसाधनों के विकास का स्तर भी काफी नीचा है। राज्य को तीव्र विकास पथ पर मोड़ने के लिये उसके **kkf rd , oa ekuoh;** दोनों अधोसंरचनाओं में **I q; kRed , oa xqkkRed** दोनों प्रकार के परिवर्तनों की आवश्यकता है। चूँकि राज्य की आबादी का 40% से अधिक भाग अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति का है। अतः राज्य को **fodkl ds I kfk&I kfk I kekft d U; k;** को भी अपने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में रखना होगा। गरीबी दूर करने एवं समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये अपने निवेश में भारी वृद्धि एवं भारी आबंटनों की आवश्यकता है। सीमान्त पूँजी-उत्पाद अनुपात को 3.5% मानते हुये, अगले पाँच वर्षों में 7% वार्षिक की वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिये राज्य को स.रा.घ.उ. के 24.5% के समग्र निवेश दर की आवश्यकता होगी। इस स्तर के निवेश के लिये सार्वजनिक एवं

निजी दोनों प्रकार के निवेशों में सतत वृद्धि आवश्यक होगी। राज्य को न केवल बड़े उद्योग वरन् छोटे एवं कुटीर उद्योगों को भी विकसित करने की आवश्यकता है, न केवल आधुनिक प्रौद्योगिकी वरन् परम्परागत दस्तकारी एवं तकनीकों, न केवल बड़े शहरों वरन् छोटे कस्बों एवं ग्रामों को भी विकसित करने की आवश्यकता है। 7% वार्षिक की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिये कृषि उत्पादन में वृद्धि पर जोर जारी रखना होगा। इस वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा, कि राज्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों एवं उप क्षेत्रों को आवश्यक राशि प्राप्त होती रहें तथा प्रदाय व्यवस्था विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप कदमताल करती रहे।

7.2.0 राजकोषीय पुनर्रचना एवं उसके उद्देश्य :

7.2.1 वृहद संदर्भ में परिभाषित करने पर राजकोषीय पुनर्रचना में ये तमाम परिवर्तन शामिल हैं – कर राजस्व की संरचना, कर आधार तथा उनकी दरें एवं क्षेत्र में परिवर्तन, राजस्व के गैर-कर स्रोतों की भूमिका में परिवर्तन, राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसार सार्वजनिक व्यय की रचना में परिवर्तन, राज्य एवं बाजार की भूमिका में परिवर्तन, विभिन्न सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों एवं राजकोषीय हस्तांतरणों में परिवर्तन तथा सार्वजनिक ऋण की भूमिका, उसकी रचना एवं उसके वित्तीयन में परिवर्तन। इनमें से कुछ परिवर्तन अल्पकालीन स्थितियों से निपटने के लिये आवश्यक हैं, अन्य मध्यम एवं दीर्घकालीन प्रकृति के हैं। हमारा प्रमुख ध्यान हमें विचाराधीन विषयों के अंतर्गत सौंपे गये कार्यों के कारण *jkt dks'kh; I q'hdj.k , oa jkt dks'kh; I ek; kstu ds e/; e dkyhu mnns'*; पर होगा, साथ ही हम दीर्घकालीन संदर्भ को भी अनदेखा नहीं कर सकते।

7.2.2 *e/; e dky ea jkT; I jdkj ds foRr dh i qj'puk dk i ed'k mnns' ; g I fuf'pr djuk gks'k] fd c<rh g'pZ I -jk?k-m- dk c<rk g'rk vuqkr jkt dks'kh; uhr ds foRr'ku ; U=ka ds ek/; e I s jkT; dks'k dks*

igpa स.रा.घ.उ.के स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व अनुपात सतत् रूप से बढ़ने चाहिये, परन्तु उसी सीमा तक जहाँ उनसे लोगों पर अनावश्यक भार न पड़े तथा पुनर्चना उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयास में हम लोगों की पहल क्षमता एवं उद्यमशीलता को न समाप्त कर दें। इसके साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना होगा, कि इस प्रकार जुटाये गये साधन राज्य की प्राथमिकताओं के अनुकूल क्षेत्रों को ही मिलें। यह भी सुनिश्चित करना होगा, कि व्यय के सही परिणाम मिलें।

7.2.3 आर्थिक सुधारों के लागू होने के बाद के निजी निवेश संबंधी उपलब्ध अँकड़े बताते हैं, कि अधिकांश निवेश उन राज्यों को जा रहा है, जो अधिक विकसित हैं तथा जिनके पास बेहतर अघोसंरचना एवं कुशल प्रशासन है। द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय ऐजेन्सियों से प्राप्त औपचारिक सहायता के बहाव की प्रवृत्ति भी विकसित राज्यों के पक्ष में जाने की रही है। छत्तीसगढ़ जैसे कम विकसित राज्यों के लिये, जिनके पास पर्याप्त साधन हैं एवं विकास की संभावनायें हैं, परन्तु उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं, ये स्पष्ट संकेतक हैं।

7.3.0 राजकोषीय पुनर्चना की मोटी रूपरेखायें :

7.3.1 **XII** वित्त आयोग ने सरकारी वित्त की बहु-आयामी पुनर्चना की अनुशंसा की है तथा जो राज्य वित्त प्रबंधन के गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों पहलुओं को लक्षित हैं¹ प्रस्तावित पुनर्चना में निम्नलिखित क्षेत्रों का समावेश है –

- (i) **dj l qkkj** जिनका उद्देश्य एक विकृति-मुक्त एवं राजस्व की दृष्टि से लोचदार कर प्रणाली विकसित करना हो, जिसमें कर की दरें कम हो, उसमें कम दर संवर्ग हो तथा स्थिर हों।

1. XII वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, पृ. 76

- (ii) ***xj&dj jktLoj*** जिसमें अल्पकाल में उपभोक्ता मूल्यों का उद्देश्य चालू लागतों की पूर्ण वसूली तथा दीर्घकाल में संपूर्ण लागत वसूली हो।
- (iii) ***0; ; i qjpkj*** जिसका संबंध उसके आकार एवं क्षेत्रीय आबंटन दोनों से हो तथा जिसका उद्देश्य गलत आबंटनों से उत्पन्न अकुशलताओं को दूर करना, योजनायें बनाना एवं क्रियान्वित करना तथा सेवाओं का प्रदाय हो।
- (iv) ***I fcl Mh*** की समग्र मात्रा में कमी करके, स्पष्टता लाकर, उनकी पारदर्शिता में वृद्धि करके एवं उनके लक्ष्य निर्धारण में सुधार करके तर्कसंगत बनाना।
- (v) ***I kołt fud {ks*** की पुनर्रचना।
- (vi) ऐसी ***g Lrk rj .k iz kkyh*** अपनााना, जिसमें समानता लाने वाले हस्तांतरणों को अधिक महत्व दिया जाय तथा जो स्थानीय निकायों तक पहुँचे।
- (vii) ***fu; kst u i fØ; k*** की सुधरी हुई भूमिका हेतु सुझाव देना।
- (viii) ***LFkkuh; fudk; ka*** की भूमिका को सुदृढ़ करना, जिससे वे स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं के प्रदाय का अधिक प्रभावी माध्यम बन सके।
- (ix) ***__ .kka , oa ?kkVs*** की उच्चतम सीमा निर्धारण एवं राज्य स्तरीय राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के माध्यम से उनकी मानीटरिंग के लिये संस्थागत ढाँचे हेतु सुझाव देना।

7.3.2 इस आयोग के लिये राज्य वित्त की पुनर्रचना के उपर्युक्त सभी पहलुओं का विस्तृत एवं संपूर्ण अध्ययन संभव नहीं होगा। हमारा मुख्य कार्य है, राज्य की

व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपाय सुझाना एवं राज्य के स्थानीय निकायों के वित्त को सुदृढ़ करने के संवैधानिक उतरदायित्व को निभाना।

7.3.3 राज्य सरकार के कार्यों में एक कार्य **jktLo ?kkVs** पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि यह घाटा ही अनेक राजकोषीय असंतुलों का मूल है। **jktLo&?kkVk** पूर्णतः राज्य सरकारों की ही देन नहीं है। **dshh; gLrkrj.kk** की मात्रा में कमी होने से राज्यों का **jktLo ?kkVk** बढ़ सकता है। राज्य को किसी भी सूरत में **jktLo&0; ;** की पूर्ति हेतु **_.k** नहीं लेने चाहिये। **ipthr ikflr; ka** को किसी भी सूरत में राज्य सरकार के **jktLo 0; ;** की प्रतिपूर्ति हेतु उपयोग में नहीं लाना चाहिये। **l kołtfud forr** का यह एक अच्छा एवं समय की कसौटी पर खरा उतरा सिद्धांत है। परन्तु राज्य में बढ़ती हुई निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राजकोषीय घाटे में वृद्धि की जा सकती है। हमने पिछले अध्याय में विकास प्रक्रिया को त्वरित रूप से आगे **c<kus ds fy; s jkt dskh; ?kkVs ea of) %dUrq fu; f=r½** के पक्ष में पर्याप्त औचित्य प्रस्तुत किया है।

7.4.0 राज्य के स्वयं के कर राजस्व के व्यक्तिगत मदों के पूर्वानुमान :

7.4.1 पुनर्चना प्रक्रिया एवं राज्य अर्थव्यवस्था के विकास मार्ग में उसकी भूमिका की उपर्युक्त पृष्ठभूमि के बाद अब हम राज्य सरकार के राजस्व एवं व्यय के व्यक्तिगत मदों के पूर्वानुमान तैयार करेंगे। **ifker%** हम राज्य के **dj <kp ds 0; fDrxr ?kVdk** के पूर्वानुमान तैयार करने के लिये राज्य के **Lo; a ds dj jktLo** को लेंगे तथा कर ढाँचे में सुधार के लिये भी कुछ सुझाव देंगे। **jkt; dk dj jktLo nks l ksrka** से प्राप्त होता है – (i) **Lo; a dk dj jktLo** एवं (ii) **dshh; djka ea vdkkkxA**

7.4.2 एक पिछले अध्याय में राज्य के वित्त की समीक्षा करते हुये हमने राज्य के स्वयं के कर राजस्व में व्यक्तिगत करों के योगदान के रूप में राज्य के वर्तमान कर

ढाँचे को प्रस्तुत किया है। राज्यों के कर ढाँचें में भू-राजस्व, स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन फीस, राज्य आबकारी/उत्पादन भुल्क, बिक्रीकर, माल एवं यात्रियों पर कर, मोटरयान कर, बिजली उपभोग पर कर एवं कुछ अन्य कर शामिल हैं। राज्यों का कर ढाँचा मुख्य रूप से संवैधानिक प्रावधानों की देन है, जिसमें राज्य करों की एक पृथक अनुसूची है। राज्य का वर्तमान कर ढाँचा कम विविधता पूर्ण है। वर्ष 2004&05 में केवल चार करों यथा – *fcØh dj] jkT; mRiknu "kYd] fctyh ij 'kYd , oaeky rFkk ; kf=; k ij dj* का कुल मिलाकर राज्य के कुल *Lo; a ds dj jktLo* में 84.53% योगदान था, जबकि यह 2001&02 में 84.09% था। राज्य सरकार के *Lo; a ds dj jktLo* का 50% से अधिक *fcØh dj* से प्राप्त होता है तथा इसके बाद के क्रम पर है, *jkT; mRiknu "kYd*। स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2004&05 में *fcØh dj* का सर्वाधिक प्रतिशत – 381% था तथा इसके बाद राज्य उत्पादन भुल्क का 1.04% तथा बिजली पर शुल्क 0.7% था।

7.4.3 पिछले अध्याय में सुझाये गये समायोजन पथ में हमने *Lo; a ds dj I -jk?k-m- vuqkr* में 2004-05 के 7-34% से बढ़कर 2009-10 में 9-51% होने का सुझाव दिया है। राज्य के *Lo; a ds dj jktLo* के 2004-05 के रूपये 3227.87 करोड़ रूपए, 2005-06 में 3994.79 करोड़ रूपये से बढ़कर 2009-10 में रूपये 9571.23 करोड़ होने का पूर्वानुमान है, जो बढ़ते हुये *dj I -jk?k-m- vuqkr* में परिलक्षित है; यह 2004-05 के 7.34% से बढ़कर 2005-06 में 7.70% तथा 2009-10 में 9.51% होगा। प्रश्न यह है, कि हमारे द्वारा पूर्वानुमानित *Lo; a ds dj jktLo* के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये व्यक्तिगत करों में वृद्धि दर क्या हो। हमारे मत में राज्य के लिये इन लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन नहीं होना चाहिये, क्योंकि उसके राजस्व में पर्याप्त उत्प्लावकता दृष्टिगोचर हुई है तथा *dj I -jk?k-m- vuqkr* राज्यों के औसत से काफी ऊँचा रहा है।

आवश्यक है, *dj ol yh rU= dks l q<+ djuk] dfBu fu.kz yus dh jktu\$rd bPNk 'kfDr , oa vFkD; oLFkk dh iwkZu\$pkfur of) nj A*

7.4.4 अब हम व्यक्तिगत करों से प्राप्त राजस्व के पूर्वानुमानों के लिये हमारे द्वारा प्रयुक्त कार्यविधि का उल्लेख करेंगे। *0; fDrxr djka ds jktLo ds iwkZu\$pkur* के लिये हमने *2001&02 , oa 2005&06 dh vof/k ea 0; fDrxr djka dh idfr of) njka ds l kfk Hkkoh mPp mRikndrk* की सरल कार्यविधि अपनायी है।

7.4.5 उपर्युक्त कार्यविधि के आधार पर *iwkZu\$pkfur l q; k; a l kj.kh Ø- 7-1* में दी गयी है।

7.4.6 *l kj.kh Ø- 7-2* में तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करने के उद्देश्य से तीन समयावधियों के लिये *0; fDrxr djka ds dj l -jk?k-m- vuqkr* दिये गये हैं।

7.4.7 *l kj.kh Ø- 7-1* दर्शाती है, कि प्रक्षेपण अवधि में *jkt; ds dj <kps ea , d fo'k\$'k ifjorU gk\$kj eW; of/krdj l s jktLo of)*। हमेशा की तरह चार कर यथा— *fcØhdj %eW; of/krdj¼ jkt; mRiknu "kYd] eky , oa ; kf=; ka ij dj , oafctyh ij 'kYd]* सम्मिलित रूप से 2009-10 में राज्य के *Lo; a ds dj jktLo* के 87.49% होंगे, जबकि ये 2004-05 में 84.53% थे, साथ ही एक परिवर्तन होगा, कि 2005-06 एवं 2009-10 में *dy dj jktLo ea fcØhdj , oa Hk&jktLo dk ifr'kr* योगदान बढ़ता हुआ होगा, जबकि अन्य कर घटता हुआ प्रतिशत अंश देंगे। कर ढाँचा तभी बदलेगा, जब कुछ संवैधानिक परिवर्तन हो और राज्यों को कर राजस्व के कुछ अधिक लोचदार कर सौंपे जाये अथवा दरों में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन एवं वर्तमान करों के दायरों में परिवर्तन हो।

7.4.8 **I kj .kh Ø- 7-2** के अनुसार **I -jk?k-m- ds ifr'kr** में वर्ष 2004–05 में **fcØh dj dk ifr'kr I oki/kd** 3.81% रहा, जो बढ़कर 2009–10 में 5.72% हो जायेगा तथा इसके पश्चात **jkt; mRiknu 'kŷd** रहा, जिसके उसी अवधि के प्रतिशत क्रमशः 1.04% एवं 1.13% रहेंगे, सबसे कम प्रतिशत स.रा.घ.उ. के 0.07% **Hk&jktLo** का है, जिसका 2009–10 में बढ़कर 0.12% होने का पूर्वानुमान है। एक महत्वपूर्ण तथ्य जो **I kj .kh Ø- 7-2** से ज्ञात होता है, वह यह, कि **I -jk?k-m- ds ifr'kr ea iR; d dj us vius&vius vuqkr ea I qkkj n'kkz k gŷ** इसका अर्थ है, कि प्रत्येक कर के द्वारा स.रा.घ.उ.में होने वाली वृद्धि का बढ़ता हुआ अनुपात जुटाया जायेगा। हमारे द्वारा पूर्वानुमानित 9.51% का **dj I -jk?k-m- vuqkr** वर्तमान कर संरचना में भी प्राप्त किया जा सकने योग्य है। अनेक करों में **Lo; a ds dj jktLo** को बढ़ाने की संभावनायें हैं, बशर्ते **dj njka dk ; qDrdj.k gkš dj dk nk; jk c<k; k tk; rFkk I cl s egroiwkZ dj ol nyh ea I qkkj** हो।

7.4.9 **jkt; mRikn 'kŷd** के **dj I -jk?k-m- vuqkr** में थोड़ी सी वृद्धि हो रही है। इस कर का राज्य के कुल **Lo; a ds dj jktLo** से घटता हुआ अनुपात है। इस कर की संभावनायें धीरे-धीरे कम हो रही हैं, क्योंकि आदिवासियों के हित में आदिवासी क्षेत्रों में नीलामी की नीति को छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम सभाओं को उनके अपने क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद करने की अनुशंसा करने के अधिकार दिये गये हैं। इन घटनाओं से इस कर के राजस्व की वृद्धि दर धीमी हुई है। छिद्रों को बंद करके एवं कर चोरी तथा तस्करी को रोककर इस कर से अधिक राजस्व प्राप्त करने की काफी संभावनायें हैं। अतः हमारे पूर्वानुमान वास्तविक वृद्धि दर पर आधारित है।

7.4.10 बिजली के उपभोग पर कर के राजस्व में ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि एवं बिजली मूल्य में बढ़ोतरी के फलस्वरूप वृद्धि की संभावनायें हैं। इस कर से वृद्धि की संभावनायें राज्य की ऊर्जा स्थिति से जुड़ी हुई हैं।

- 7.4.11 एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन जो हाल ही में, इस राज्य ने किया है वह है, दिनांक 14.2006 से *fcØh dj ds LFkkU ij eW; of/kR dj* लागू करना, जो कि राज्य के स्वयं के कर राजस्व का सर्वाधिक उत्पादक कर होगा।
- 7.4.12 अचल संपत्ति के पंजीयन पर कर की उच्च एवं विभेदात्मक दरों के कारण संपत्ति के सौदों में उसका कम मूल्य बताकर कर की चोरी को बढ़ावा मिला है। किसी ऐसी व्यवस्था के अभाव में जिसमें भूमि की कीमत एवं भवन निर्माण लागत को प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुये तदनुसार सम्पतियों को स्तरों में विभाजित कर उनके आधार-मूल्य का वस्तुपरक आकलन किया जा सके, इस कर की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। नये राज्य-छत्तीसगढ़ के बनने के कारण भूमि एवं संपत्तियों के मूल्यों में काफी वृद्धि होने की संभावना है, विशेषकर बड़े शहरों में। इस स्रोत के राजस्व की चोरी रोकने एवं राजस्व में वृद्धि करने के लिये रजिस्ट्री शुल्क के मूल्यांकन में सुधार अत्यन्त आवश्यक है।
- 7.4.13 वर्तमान में ऐसी बहुत कम सेवायें हैं, जिन पर राज्य सरकारें कर लगा रही हैं, क्योंकि ऐसे कर लगाने के अधिकार केन्द्र के पास हैं। सेवाओं पर कर लगाने के लिये संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। राज्यों को ऐसी सेवाओं पर कर लगाने के अधिकार दिये जाने चाहिये, जिनका अंतर्राज्यीय स्वरूप नहीं है। राज्य सरकार अन्य राज्यों के साथ मिलकर इस विषय को उपयुक्त मंच पर उठा सकती है।
- 7.4.14 राज्य/स्थानीय सरकार द्वारा लगाये जाने वाले *ofRr&dj* पर रू. 2500 की वर्तमान संवैधानिक अधिकतम सीमा को संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। संसद को यह अधिकार दिया जाय, कि वह हर बार संविधान संशोधन के बिना ही आवश्यकतानुसार इस सीमा को तय कर सके अथवा बदल सके।

7-50 xj&dj jktLo %

7.5.1 गैर-कर राजस्व की बहुत अधिक राशि नहीं है, फिर भी राज्य की स्वयं की कुल राजस्व प्राप्तियों में इसका बढ़ते हुये प्रतिशत के बाद घटता हुआ योगदान है। राज्य सरकार को यह राजस्व उन अनेक सेवाओं से प्राप्त होता है, जिन्हें राज्य लोगों को प्रदाय करता है। इन सेवाओं को **pkj l engka** में वर्गीकृत किया गया है, **jkTkdKk; l ok; j** जिनमें ऋणों पर ब्याज तथा राज्य द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में निवेशित अंश पूँजी पर लाभांश शामिल हैं, **l kekl; l ok; j** जिनमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त राजस्व शामिल है, **l kekftd l ok; s** जिनमें शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, एवं **vkfFkd l ok; j** जिनमें कृषि एवं ग्रामीण विकास, वन, खनन तथा सिंचाई आते हैं। **xj&dj jktLo dk vf/kdkk Hkkx vkfFkd l okvka l s itlr gkrk g** राज्य के कुल गैर-कर राजस्व में इनका औसत (वर्ष 2002-03 से 2004-05) योगदान लगभग 78% है तथा इसके बाद के क्रम में राजकोषीय सेवायें (12%), सामान्य सेवायें (8%) एवं सामाजिक सेवायें (लगभग 2%) आती हैं।

7.5.2 **l kj.kh Ø- 7-3** में **dy xj&dj jktLo ea bl ds fofHku enka ds ifr'kr ; kxnku dks n'kkz k x; k g**

7.5.3 **l kj.kh Ø- 7-4** में **xj&dj jktLo dk jkT; ds l-jk?km-] Lo; a dh jktLo itkflr; ka , oa dy jktLo itkflr; ka dks ; kxnku** प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2001-02 में **xj&dj jktLo l-jk?km- dk vuqkr** 2.44% था, जो बढ़कर 2004-05 में 2.83% हो गया तथा जिसका 2009-10 में 2.95% होने का पूर्वानुमान है। राज्य के **Lo; a ds jktLo ds ifr'kr ea xj&dj l krka dk jktLo** 2001-02 में 26.60% था तथा बढ़कर 2004-05 में 27.82% हो गया, किंतु 2009-10 में घटकर 23.67% होने का पूर्वानुमान है। **dy jktLo itkflr; ka ds ifr'kr ea bl l kr dk ; kxnku** 2001-02 के 16.51% से बढ़कर 2004-05 में 17.16% हो गया तथा 2009-10 में घटकर 14.35% होने का पूर्वानुमान है।

7.5.4 राज्य सरकार की बजटीय नीति में राजस्व के गैर-कर स्रोतों विशेषकर जल शुल्क, ऊर्जा शुल्क, सेवाओं की लागत वसूली, राज्य उपक्रमों के निवेश पर प्रतिलाभ तथा ऋणों पर ब्याज की वसूली के दोहन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही विभागीय एवं गैर-विभागीय उपक्रमों के कमजोर प्रशासन के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होती है तथा सेवाओं की गुणवत्ता में कमी आती है। गैर-कर स्रोतों से प्राप्त राजस्व के कम होने के कारणों में से उल्लिखित कुछ कारणों की पहचान की गई है। वन एवं खनिज साधनों से अधिक साधन जुटाने के रास्ते में कुछ रुकावटें संविधान एवं कुछ केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये कतिपय बंधनों के कारण हैं।

7.5.5 राज्य में बड़ी संख्या में *I kelftd* एवं *vkfFkd I okvka* पर अन्य राज्यों की भाँति ही *I fcl Mh* दी जाती है, जिसका स्वरूप या तो सेवाओं का निःशुल्क प्रदाय होता है अथवा ऐसे मूल्यों पर प्रदाय होता है, जो उनकी लागत से कम होते हैं। प्रत्येक सेवा एवं समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये सब्सिडी का औचित्य नहीं है। साम्यता की माँग है, कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं का प्रदाय निःशुल्क अथवा अत्यल्प मूल्यों पर किया जा सकता है, परन्तु सेवाओं जैसे उच्च शिक्षा के प्रदाय में सब्सिडी का अंश अधिक नहीं होना चाहिये। हाल ही में केन्द्र सरकार ने अपेक्षा की है, कि उच्च शिक्षा पर चालू व्यय के कम से कम 20% भाग को छात्रों से ट्यूशन फीस के रूप में वसूला जाय। इसी प्रकार परिवहन, ऊर्जा, आवास, सिंचाई, कृषि आदाओं की आपूर्ति जैसी *vkfFkd I okvka dk ink; , d s eW; ka ij fd; k tk;] ft I l s bu I okvka ds ink; dh pkyw ykxr dh i frZ gks I dA ~NRrhl x<+ I jdkj dh foRr dh I eh{kk* नामक अध्याय की *I kj .kh Ø-5-14* दर्शाती है, कि छत्तीसगढ़ राज्य में *vkfFkd I okvka I s I cf/kr ol nyh vuqkr* 2001-02 के 53.21% से घटकर 2005-06 में 48.95% होने का पूर्वानुमान है। *I kelftd I okvka ds I cf/kr ol nyh vuqkr* बहुत ही कम है तथा यह उसी अवधि में 1.33% से घटकर 1.04% रह जाने का पूर्वानुमान

है। यह इस बात का द्योतक है, कि सार्वजनिक सेवाओं से उपभोक्ता मूल्यों के रूप में राज्यों को मिलने वाले प्रतिलाभ को समीक्षाधीन अवधि में धक्का लगा है। अतएव यह आवश्यक है, कि सार्वजनिक कोष से समाज के संपन्न वर्गों को होने वाला सब्सिडी प्रवाह रोका जाय। मोटे तौर पर सब्सिडी स्पष्ट अथवा निहित दो प्रकार की हो सकती है। जब सब्सिडी बजट में स्पष्ट होती है, तो वह पारदर्शी होती है एवं वे बजटीय प्रबंधन के अंतर्गत आती है, परन्तु अधिकांश सब्सिडी निहित प्रकार की होती है। बजट प्रपत्रों से हम यह नहीं जान सकते, कि सब्सिडी की राशि एवं उनका उद्देश्य क्या है। सब्सिडी प्रायः अकुशलता को बढ़ावा देती है तथा अनेक मामलों में उन्हें उस समय अलाभकारी कहा जा सकता है, जब वे लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुँचती। राज्य का सब्सिडी सुधार कार्य सूची में सब्सिडी की मात्रा में कमी करना, उन्हें स्पष्ट बनाना तथा उनके लक्ष्य निर्धारण में काफी सुधार करना शामिल होना चाहिये।

7.5.6 सब्सिडी कम करने के प्रयासों के बावजूद केन्द्रीय बजट में उनका आकार बड़ा बना हुआ है। **XII** वित्त आयोग के आकलन के अनुसार वर्ष 2002-03 में केन्द्रीय बजट में सब्सिडी सकल राजस्व प्राप्तियों की 18% थी। सेवाओं के प्रदाय की लागत निरंतर बढ़ रही है, परन्तु लागत के अनुपात के रूप में वसूली अनुपात घट रहा है। **I jdkj }kjk inRr fofHku I okvka ds mi HkkDrk eW; r; djus dk dk;Z , d Loræ fu;ked I LFkk dks I kã nuk pkfg; } tks mi HkkDrkvka , oa I jdkj nkuka ds fgrka dh I j{kk djsa** छत्तीसगढ़ राज्य के अभी नये होने के कारण सब्सिडी की समस्या ने अभी गम्भीर रूप धारण नहीं किया है, परन्तु सरकार को सब्सिडी की राशि एवं क्षेत्र बढ़ाने के लिये होने वाले राजनैतिक दबाव विशेषकर ऊर्जा एवं सिंचाई के क्षेत्र में से अपने आप को बचाना होगा।

7.5.7 राज्य सरकार को उसके द्वारा दिये गये संस्थागत एवं गैर-संस्थागत ऋणों, जिनमें से काफी ऋण सरकारी कर्मचारियों एवं अन्यो को दिये जाते हैं, पर ब्याज

प्राप्त होता है। देखने में आया है, कि लंबित ऋणों पर वास्तविक प्रतिलाभ दर उस लागत से कम होती है, जिस पर सरकार ऋण लेती है। **XII02** वित्त आयोग ने सब्सिडी ऋणों एवं अग्रिमों पर 7% एवं अंशपूँजी पर 5% प्रतिलाभ की कल्पना की है।

- 7.5.8 खनिजों पर रॉयल्टी बढ़ाने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार केन्द्र सरकार का है, जो इसका पुनरीक्षण आवश्यकतानुसार नहीं कर रही है, जबकि खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी, खनिज संपन्न राज्य के लिये राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती है, **vr% vuqkd k dh tkrh g\$ fd jkVYVh njka dk i qjh{k.k fu;fer l e; varjkyka ij gkuk pkfg; s rFkk budk vf/kjksi .k eW; kuq kj gkuk pkfg; A XII02** वित्त आयोग ने प्रक्षेपण अवधि के लिये 5% दर की अनुशंसा की है, परन्तु यह राज्य के लिये पूर्वानुमान तैयार करने के उद्देश्य से काफी कम है।
- 7.5.9 वनों से प्राप्तियों की कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है। पर्यावरणीय कारणों से सर्वोच्च न्यायालय ने वन संसाधनों के दोहन पर कई रूकावटें लगा रखी हैं तथा इस कारण इस स्रोत से अधिक साधन जुटाने का राज्य सरकार का अधिकार बाधित हुआ है।
- 7.5.10 सामान्य सेवा के राजस्व में भारी उतार-चढ़ाव होने के कारण, उनकी प्राप्तियों के संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। **XII02 forr vk; ksx** ने इसके पूर्वानुमान के लिये **2002&03 l s 2004&05 ds rhu o'khz; vkj r** का आधार सुझाया है।
- 7.5.11 सिंचाई के संबंध में प्रक्षेपण अवधि के लिये लागत वसूली दरें 2005-06 के लिये 50%, 2006-07 के लिये 60%, 2007-08 के लिये 70%, 2008-09 के लिये 80%, तथा 2009-10 के लिये 90% सुझायी गयी हैं।

7.6.0 गैर-कर राजस्व के व्यक्तिगत मदों के राजस्व संबंधी पूर्वानुमानों के लिये प्रयुक्त कार्यविधि :

7.6.1 कतिपय बाधाओं एवं सीमाओं के कारण हम गैर-कर राजस्व के व्यक्तिगत मदों के राजस्व संबंधी पूर्वानुमानों के लिये *xj&dj jktLo ds fofhku enka* द्वारा सुझायी गई कार्यविधि नहीं अपना सके। *xj&dj jktLo ds fofhku enka* के लिये हमने अपनी स्वयं की कार्यविधि विकसित की है। कार्यविधि निम्नानुसार है -

iokupuka ds mnns; I s I oã Fke] geus iol of) nj 15-90% I s dN vf/kd 19% dks vk/kkj ekurs gq s iokupu vof/k ds fy, xj dj I kka ds iokupu r\$ kj fd; rRi 'pkr geus I okvka ds pkj mi & I engka dks fy; k gS, oa o"kl 2002&03 I s 2004&05 ds rhu o"kl ds vkI r dks vk/kkj ekurs gq } xj&dj I kka ds mi I engka ds jktLo ds iokupu r\$ kj fd; rRi 'pkr- ikp ea I s iR; d o"kl ds fy; s bu iokupuka dk vkcu iR; d mi & I eng ds fy; s ml I eng ds n"V vkI r vuqkr ds vk/kkj ij fd; kA

7.6.2 *jktLo ds xj&dj I kr ds fofhku mi I engka dk dg xj&dj jktLo I s n"V vuqkr rhu o"kl ds vkI r* के आधार पर निम्नानुसार है :-

राजकोषीय सेवायें	:	अनुपात	11.60%
सामान्य सेवायें	:	अनुपात	7.59%
सामाजिक सेवायें	:	अनुपात	2.43%
आर्थिक सेवायें	:	अनुपात	78.38%

प्रत्येक उप-समूह के लिये हमने प्रक्षेपण की पाँच वर्ष की अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये जुटाये जाने वाले राजस्व के पूर्वानुमान तैयार

किये। तत्पश्चात् उप-समूह में शामिल व्यक्तिगत मदों के लिये उसी प्रकार राजस्व राशियों का आकलन किया, जैसे हमने उप-समूह के लिये किया था। पूर्वानुमानों के लिये व्यक्तिगत मदों के अनुपात निम्नानुसार है :-

jktdksh; l ok; a%

(i) **C; kt ikflr; k** कुल गैर-कर राजस्व का अनुपात - 9.68%

(ii) **ytkkkk k** कुल गैर-कर राजस्व का अनुपात - 1.92%

vkfFkd l ok; a%

(i) **df"k , oa xkeh.k fodkl** कुल गैर-कर राजस्व का अनुपात - 1.36%

(ii) **ou** कुल गैर-कर राजस्व का अनुपात - 12.15%

(iii) **[kuu** कुल गैर-कर राजस्व का अनुपात - 55.76%

(iv) **fl pkbz** कुल गैर-कर राजस्व का अनुपात - 5.81%

(v) **vu;** कुल गैर कर राजस्व का अनुपात - 3.30%

7.6.3 ऊपर वर्णित कार्यविधि के आधार पर हमने सेवाओं के प्रत्येक उप-समूह एवं उनके अंतर्गत व्यक्तिगत मदों के लिये जुटायी जाने वाली निम्नलिखित राजस्व राशियों को ज्ञात किया है। उप-समूह तथा उनके प्रत्येक मद दोनों के पूर्वानुमानों के लिये एक ही कार्यविधि का उपयोग किया है, यथा-प्रथमतः पाँच में से प्रत्येक वर्ष के लिये गैर-कर राजस्व की कुल पूर्वानुमानित राशि को सेवाओं के चार समूहों में तीन वर्षों के दृष्ट अनुपातों के आधार पर आबंटित करना तथा बाद में प्रत्येक समूह के व्यक्तिगत मदों में उनके तीन वर्षों के दृष्ट अनुपातों के आधार पर आबंटन करना। व्यक्तिगत मदों एवं समूहों के पूर्वानुमानों की इस कार्यविधि को संपूर्ण अभ्यास का सरलीकरण कहा जा सकता है।

7.6.4 **l kj.kh Ø- 7-5** में **l ok l emka , oa muds ?kVd enka ds fy; s iokkufur jktLo** प्रस्तुत किया गया है।

7.6.5 चूँकि सारणी में दिये पूर्वानुमान गैर-कर राजस्व के *rtu o"kk 2002&03 l s 2004&05 ds n"V vuq krka ds vk r* पर आधारित हैं, अतः राज्य सरकार के लिये प्रक्षेपण अवधि के प्रत्येक वर्ष पूर्वानुमानित राशि जुटा पाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

7.7.0 **राजस्व व्यय :**

7.7.1 *l kozfud 0; ;* को मोटे तौर पर *nks oxk* में विभाजित किया जाता है—*jktLo 0; ; , oa ipt hxr 0; ;*। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल व्यय का लगभग 80% *jktLo&0; ;* की प्रकृति का है तथा शेष 20% *ipt hxr 0; ;* की श्रेणी में आता है। कुल मिलाकर देश के लगभग सभी राज्यों में राजस्व व्यय, कुल व्यय का अधिकांश भाग होता है।

7.7.2 देश के राज्यों के सम्मुख आम तौर पर उत्पन्न संरचनात्मक समस्याओं में से एक है, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की काफी अधिक वृद्धि। सामान्यतयः राजस्व व्यय की तीव्र वृद्धि को अनुत्पादक उपयोग व्यय की संज्ञा दी जाती है, परन्तु राजस्व व्यय की वृहत वृद्धि को हमेशा चिन्ता का विषय नहीं मानना चाहिये, विशेषतया, तब जब कि ऐसे व्यय के व्यक्तिगत मद विकास एवं सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, परन्तु अनेक राज्यों का हाल का अनुभव यह रहा है, कि कुल व्यय का बड़ा भाग पूँजीगत व्यय एवं योजना की आवश्यकताओं में कटौती कर राजस्व लेखे में व्यय किया जाता है। यह वांछनीय नहीं है।

7.7.3 उपयुक्त प्राथमिकता निर्धारण एवं नियमन के द्वारा व्यय प्रबंधन उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना अतिरिक्त साधन जुटाना। व्यय के प्रभावी उपयोग से लोगों की कर-देय क्षमता में वृद्धि होती है। राजकोषीय संतुलन के हित में, राज्य वित्त के प्रबंधन में, बजटीय तकनीकों का कड़ाई से पालन तथा विवेक अत्यन्त आवश्यक है। व्यय की बेहतर गुणवत्ता से विनियन्त्रण, विनियमन एवं प्रक्रिया

सरलीकरण के फलस्वरूप पर्यावरण व्यापार-मित्र बनेगा, जो अर्थव्यवस्था के विकास को प्रेरित करेगा।

7.7.4 आर्थिक सुधारों के लागू होने के कारण आर्थिक मामलों में राज्य की भूमिका में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। *jkT; I jdkj dks, s s dk; k eal s vius gkFk fudky yus pkfg; } ftlga og n{krki d fu"ikfnr ugha dj l drh rFkk buea viuh Hkfedk dks eq; r; k , d vuqlyd , oa i dr d rd gh l hfer j[kuk pkfg; }* परन्तु राज्य का समस्त क्षेत्रों से बाजार के पक्ष में हटना संभव नहीं है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें राज्य की प्रमुख भूमिका रहेगी। ऐसे क्षेत्र हैं, भौतिक अघोसंरचना का विकास एवं उसका रख-रखाव, शिक्षा, चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण जैसी सामाजिक सेवायें, राहत एवं पुनर्वास, शोध एवं विकास तथा विस्तार सेवायें। जैसा कि संविधान में प्रकल्पित है, कुछ सेवाओं को स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर देना चाहिये। *I qkkj dh fn'kk ; g gk } fd jkT; mRi knu ds {k= I sgVdj] fu; U=d , oa vuqlyd rFkk dY; k.k I ok; a mi yC/k djkus okys dh Hkfedk dk foLrkj dj* अनेक क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी साझेदारी की संभावनाओं का पता लगाना भी आवश्यक है। राज्य एवं बाजार के बीच दोनों की सीमा रेखाओं को बदलकर नये संतुलन तलाशने होंगे। इन सभी परिवर्तनों के प्रकाश में राज्य एवं देश की अर्थव्यवस्थाओं की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिये राज्य की व्यय रचना में परिवर्तन संभावित होंगे।

7.8.0 राज्य के राजस्व व्यय का वर्गीकरण :

7.8.1 राज्य बजट में कुल राजस्व व्यय, गैर-योजना राजस्व व्यय एवं योजना राजस्व व्यय में वर्गीकृत किया गया है। *I kj .kh Ø- 7-7 jkT; ds dgy jktLo 0; ; dk } ; kst uk , oa xj & ; kst uk ea folkkftr dj* प्रस्तुत करती है। हमने इन

दोनों वर्गों के लिये पृथक-पृथक पूर्वानुमान किये हैं, परन्तु **jktLo 0; ; ds 0; fDrxr enka ds i wklzəku** करते समय हम **dy jktLo 0; ;** को ही लेंगे।

7.8.2 पिछले अध्याय में हमने विस्तार से राजस्व व्यय के दोनों वर्गों की पृथक-पृथक वृद्धि दरों के निर्धारण संबंधी कार्याविधि की चर्चा की है तथा गैर-योजना व्यय की तुलना में योजना राजस्व व्यय के ऊँची दर के पूर्वानुमानों के लिये पर्याप्त औचित्य भी दिया है। राजस्व व्यय में वृद्धि के पूर्वानुमान राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं तथा आस्तियों के रख-रखाव की पूर्ति करने के उद्देश्य से किये गये हैं।

7.8.3 बजटीय आबंटनों की दृष्टि से राज्य के **jktLo 0; ;** को **pkj Jf.k; ka** में वर्गीकृत किया गया है। ये हैं — **I kekl; I ok; ʒ I keftd I ok; ʒ vkfkd I ok; ʒ rFkk LFkkuh; fudk; ka dks {kfrirz rFkk I k/ku I ks tkukA** प्रत्येक मद में निम्नानुसार उपमदें हैं —

I kekl; I okvka में विभिन्न मदों को शामिल किया गया है, जैसे — राज्य के अंग, राजकोषीय सेवायें, ब्याज संग्रह एवं ऋण परिशोधन व्यय, प्रशासकीय सेवायें, पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें।

I keftd I okvka में हैं — शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जल आपूर्ति एवं साफ-सफाई, आवास एवं नगरीय विकास, श्रम एवं रोजगार, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति, एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण तथा प्राकृतिक आपदाओं के लिये राहत।

vkfkd I okvka में कृषि एवं संबद्ध क्रियायें, वन, ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग एवं खनिज, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण।

LFkkuh; fudk; ka dks I gk; rk vuqku] I k/kuk dk varj.k ,oa {kfr i frA

7-9-0 jktLo 0; ; ds 0; fDrxr enka ds i vkuu%ku %

7-9-1 यद्यपि, हम *I kekftd ,oa vkfFkZ I vkuu ds I koTkfud 0; ;* में काफी वृद्धि का पूर्वानुमान कर रहे हैं, फिर भी हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे, कि मात्र सार्वजनिक व्यय वृद्धि से अपने आप वांछित परिणाम नहीं मिल सकेंगे। विभिन्न मदों को मात्र बड़ी राशियाँ आबंटित करना पर्याप्त नहीं है, यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, कि ये व्यय उत्पादन एवं परिणामों में बदलें। उत्पादन सरकारी व्यय का प्रत्यक्ष परिणाम है, परन्तु परिणाम उसके अंतिम प्रभाव होते हैं। उदाहरण के तौर पर, शिक्षा के क्षेत्र में, किसी नये स्कूल का खुलना अथवा किसी शिक्षक की नियुक्ति उत्पाद है, परन्तु निरक्षरता दर में कमी उसका प्रभाव या अन्तिम परिणाम। कुशलता की मांग है, कि या तो कम लागत पर समान परिणाम मिले अथवा समान लागत पर बेहतर परिणाम प्राप्त हो। अतएव राज्य की राजकोषीय नीति में केवल सार्वजनिक व्यय के आकार का निर्धारण एवं उसका विभिन्न मदों एवं उपमदों में आबंटन ही न होकर, व्यय एवं तदनुसार कार्य निष्पादन एवं वास्तविक परिणामों के बीच सही संबंध भी शामिल होना चाहिये। हम पुनः जोर देकर कहना चाहेंगे, *fd ctV r\$ kj djus ,oa ml ds eW; kdu djus dh if0; k dk ,d vko'; d vak fu"iknu ctV gkuk pkfg, A fu"iknu ctV dk emy vFkZ ; gh g\$ fd I koTkfud 0; ; dk izdku ddkyrk] fer0; f; rk ,oa iHko'hyrk vk/kkfjr gkuk pkfg, A u doy izkkl u oju- I Rrk/kkjh jktufrd ikVhZ dks Hkh fu"iknu ctV dh vko'; drkvka dk ikyu djuk pkfg, A*

7.10.0 राजस्व व्यय के व्यक्तिगत मदों के पूर्वानुमान तैयार करने के लिये विकसित की गई कार्यविधि :

7-10-1 *jktLo 0; ; ds 0; fDrxr enka ds fy; s iokLupku r\$ kj djus grqgeus , d l jy dk; fof/k dk mi ; ksx fd; k gA iR; xl en ds jktLo 0; ; ds dfri; enka ea jkT; dh vFkD; oLFkk ds vuq kj dN ekeryh ifjorLuka ds l kfk o"KZ 2001&02 l s 2005&06 ds chp idfr of) nj ds vk/kkj ij iokLupkfur fd; k x; k gA vc ge l okvka ds iR; xl l eay rFkk l eayka ds ?kVd enka ds fy; s fodfl r dk; fof/k dh ppkZ djxkA*

7.10.2 सामान्य सेवाएं :

l jdkj ds vx – वर्ष 2001–05 की अवधि में इस मद की **idfr of) nj** **1/4 io-n-1/2** काफी ऊंची 22.74% रही है। इसका संभावित कारण यह है, कि राज्य को नये सिरे से प्रारंभ करना पड़ा तथा सरकार के विभिन्न अंगों पर भारी राशि का व्यय करना पड़ा। तत्कालीन राज्य की राजधानी में स्थित सभी संस्थाएं एवं अधो:संरचना अविभाजनीय एवं अहस्तांतरणीय थी। नये राज्य के निर्माण के फलस्वरूप राज्य के सभी अंगों का निर्माण प्रारंभ से करना आवश्यक था। इस मद के उच्च प्रारंभिक व्यय के कारण, अब हम इसकी अपेक्षाकृत नीची वृद्धि दर की आशा करते हैं, हमने इसकी वृद्धि दर का पूर्वानुमान **io-n-** 22.74% के विरुद्ध 15% की दर से किया है।

jkt dks'kh; l ok, – बेहतर कर संग्रहण के लिये तंत्र को अधिक कुशल बनाना तथा कर चोरी रोकने के लिये कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। इस मद की **io-n-** 8.96% रही है। हमने इस मद के राजस्व व्यय के लिये इसी दर पर वृद्धि का पूर्वानुमान किया है।

C; kt l xg vksj __.k ifj'kksku 0; ; – हमने ब्याज भुगतानों के लिये व्यय के मद के रूप में उसके महत्व के कारण सामान्य सेवाओं से अलग पूर्वानुमान तैयार किये हैं। 2001–02 से 2005–06 की अवधि में ब्याज भुगतानों की **io-n-**

11.41% रही है। हाल के वर्षों में मौद्रिक ब्याज दरों में गिरावट हुई है तथा राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार की **debt-swapping** का लाभ भी दिया गया है। वित्त आयोग ने विभिन्न राज्य समूहों के लिये भिन्न-भिन्न दरों का उपयोग किया है। राज्यों के समूह उनके ब्याज भुगतान का उनकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किये गये हैं अधिक अनुपात वाले राज्यों के लिये ब्याज दर कम रखी गई है, क्योंकि उनका ब्याज भार अधिक है।

1. राज्य जिनका अनुपात 2003-04 में 30% से अधिक था, उनके लिये 6.5% की कम ब्याज दर रखी गई है।
2. अनुपात 23 एवं 30% के बीच, उनकी 7.5% वृद्धि दर प्रक्षेपण अवधि के लिये रखी गई है।
3. 23% से कम अनुपात वाले राज्यों के लिये प्रक्षेपण अवधि के लिये 8.5% वृद्धि दर दी गई। ने 2005-10 की अवधि के लिये ब्याज भुगतान के पूर्वानुमान तैयार करने हेतु राज्य विशिष्ट वृद्धि दरों का उपयोग किया है।

द्वारा सुझाये गये मापदण्ड का उपयोग करने पर हम पाते हैं, कि विशेष श्रेणी राज्यों से कम है। प्रक्षेपण अवधि के लिये ब्याज भुगतान के पूर्वानुमान इसकी 11.41% की वृद्धि दर पर करने होंगे। हमने पूर्वानुमानों के लिये इन दोनों में से कम दर का उपयोग किया है। ब्याज संग्रह एवं ऋण परिशोधन के लिये व्यय का पूर्वानुमान 12.53% के विरुद्ध 11% से किया गया है।

i z kkl dh; I ok, a – सामान्य सेवाओं के अंतर्गत अगला मद है, प्रशासनिक सेवाएं। नवगठित राज्य को प्रशासकीय सेवाओं के पुर्नगठन का कार्य करना आवश्यक था। राज्य ने अपने विभागों की संख्या तत्कालीन राज्य मध्यप्रदेश के 51 से घटाकर 18 करने का साहसिक कदम उठाया। विभागों का पुनर्गठन परस्पर व्याप्त विभागों का सभी संबद्ध कार्यों को एक ही विभाग के अंतर्गत रखकर उनका विलय करके किया गया। इससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी एवं सेवा प्रदाय में सुधार होगा। साथ ही राज्य के सभी विभागों में सभी पद भरे हुए नहीं हैं। भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र संपन्न करनी होगी। विभिन्न विभागों के लिये बढ़ते हुए कार्मिकों के कारण इस मद की **i 10-n-** 9.43% है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, कि जहाँ निजी क्षेत्र बेहतर कार्य कर सकता है, वहाँ सार्वजनिक उपक्रम स्थापित नहीं किये जायेंगे। इस निर्णय के अनुरूप 30 ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों को राज्य में स्थापित नहीं किया गया है, जो तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित थे, परन्तु इनमें से कुछ का उत्तरदायित्व राज्य को लेना होगा, जब उनकी देनदारियां राज्य को सौंपी जायेंगी। उदाहरण के लिये छत्तीसगढ़ राज्य ने अपना सड़क परिवहन निगम स्थापित नहीं किया है, परन्तु उसे मध्यप्रदेश राज्य रोड़वेज कार्पोरेशन के 2100 कर्मचारियों को ऐच्छिक सेवा निवृत्ति देने एवं उनसे संबंधित अन्य देनदारियों के भुगतान का दायित्व सौंपा गया है। जैसे-जैसे कुछ अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की देनदारियों का विभाजन होगा, उन्हें राज्य को सौंपा जायेगा, वैसे-वैसे राज्य पर और वित्तीय भार आने की संभावनाएं हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस मद के व्यय की वृद्धि दर में कमी करना संभव नहीं होगा। अतएव हमने इस मद के लिये 9.43% की वृद्धि दर का पूर्वानुमान किया है, जो इसकी **i 10-n-** भी है।

i d ku Hkqrku , oa fofo/k I keW; I ok, a – पेंशन भुगतान संबंधी पूर्वानुमान करते समय **XII09** वित्त आयोग ने वर्तमान प्रवृत्तियों में इस मान्यता पर न्यूनतम परिवर्तन किया है, कि अल्प अथवा मध्यम काल में राज्य पेंशन रचना को प्रभावित नहीं कर सकते। वित्त आयोग ने पेंशन भुगतानों में 10% वार्षिक वृद्धि

दर की अनुशांसा की थी। छत्तीसगढ़ राज्य की इस मद की **izo-n-** 8.93% वार्षिक है। हमने पेंशन के राजस्व व्यय का पूर्वानुमान 8.93% पर किया है। जो वित्त आयोग द्वारा सुझाई दर से कम है।

अब हम **I kekl; I okvka ds foHkku ?kVd enka ds jktLo 0; ;** को एक साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, जो हमने **I kj.kh Ø- 7-8** में प्रस्तुत किया है। **dy jktLo 0; ; ds ifr'kr ds : i ea I kekl; I okvka ds en dk 0; ; i fki .k vof/k I s?kVus dh I Hkkouk gksxA**

7.10.3 सामाजिक सेवाओं का राजस्व व्यय :

यह मान्यता उचित नहीं है, कि सामाजिक सेवाओं का कुल राजस्व व्यय उपभोग व्यय है और इसलिये अनुत्पादक होता है। **I kekftd I ok, a , d , I k {ks- g\$ ftl I s ekuoh; I d k/kuka dh xqkoRrk ea I qkj gkrk g\$ ftl dk viR; {k ; kxnku mRi knu , oa mRi kndrk c<kus ea gkrk g\$** इसके अतिरिक्त वितरणत्मक न्याय के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के विकास की अत्यंत आवश्यकता है। सामाजिक सेवाओं पर किया गया अधिकांश सार्वजनिक व्यय, राजस्व व्यय की प्रकृति का होता है। छत्तीसगढ़ राज्य अभी भी सामाजिक सेवाओं के अनेक घटकों के प्रतिव्यक्ति व्यय के मामले में अखिल भारतीय औसत तथा अनेक राज्यों से पीछे हैं। इस क्षेत्र में निजी भागीदारी के बावजूद अधिकांश सामाजिक सेवाओं के विस्तार एवं उनमें सुधार के मामले में उनकी निर्भरता राज्य की पहल एवं प्रत्यक्ष साझेदारी पर बनी रहेगी। इन तथ्यों के प्रकाश में हम उस क्षेत्र के अधिकांश घटकों के लिये अधिक आबंटन के रूप में इनके व्यय की पुर्नरचना का सुझाव दे रहे हैं।

अब हम सामाजिक क्षेत्र के प्रत्येक उपक्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करेंगे तथा उसके प्रकाश में सामाजिक सेवाओं के व्यक्तिगत घटकों के राजस्व व्यय के पूर्वानुमान के सुझाव देंगे।

f'k{kk – राज्य ने साक्षरता दर में काफी सुधार किया है तथा यह 1991 के 42% से बढ़कर 2001 में 65% हो गई। यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। इस उपलब्धि के बावजूद साक्षरता दर के मामले में 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान काफी नीचे सत्रहवें स्थान पर है। राज्य ने सभी बच्चों को प्राथमरी शिक्षा की पहुँच का लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया है, परन्तु माध्यमिक स्कूल जाने वाले बच्चों के आयु संवर्ग में पर्याप्त पहुँच नहीं है। राज्य को अभी अपनी प्राथमरी एवं माध्यमिक शिक्षा में सुधार के काफी प्रयास करने होंगे। राज्य को राष्ट्रीय स्तर की कुछ संस्थाओं को राज्य में लाने का प्रयास करना चाहिये, जो विकास का माध्यम बन सके, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त होती है तथा वे बाहरी सम्पर्क एवं बातचीत का माध्यम बनते हैं। राज्य को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा का अंग बनने के लिये वित्तीय एवं बौद्धिक दोनों प्रकार के साधनों के बड़ी मात्रा में अन्तः प्रवाह की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता सुधार के लिये भी बेहतर अधोःसंरचना की आवश्यकता है। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को अपनी चालू जरूरतों के कम से कम 20% की भरपाई ट्यूशन फीस से करनी चाहिये। हाल ही में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी इस पर बल दिया है।

राज्य में **f'k{kk ij jktLo 0; ; dgy 0; ;** के 13% से 17% के आसपास रहा है। **l-jk?km- ds ifr'kr** में यह लगभग 2.35% से 2.77% रहा है, जो **l-?km-** के 6% के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी कम है।

हमने शिक्षा के राजस्व व्यय में वृद्धि के पूर्वानुमानों के आधार के लिये 2001–02 से 2005–06 की अवधि के लिये इस क्षेत्र की **izo'n-** को कुछ परिवर्तनों के साथ सुझाया है। **f'k{kk ds jktLo 0; ;** की **izo'n-** काफी संतोषजनक 20.68% रही है। राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्व के प्रति काफी सजग है। **xiiog forR vk; ksx** ने वेतनों में 5% वृद्धि दर का सुझाव दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके, कि वास्तविक वेतन कम न हो,

परन्तु हमने वेतन की 7% वृद्धि दर सुझाई है, क्योंकि शिक्षा का अधिकांश व्यय इसी मद पर होता है तथा शिक्षक शिक्षा की अधो:संरचना का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। प्राथमरी एवं माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को पाने के लिये हमें अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करना आवश्यक होगा। शिक्षा के पूर्वानुमानों के लिये **XII02** वित्त आयोग ने 9.5% वृद्धि दर सुझाई है। यह दर राज्य द्वारा अभी तक की प्राप्त दर (20.68%) से काफी कम है।

शिक्षा के विस्तार तथा प्राथमरी, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, **vk; ks us f'k{k ds jktLo 0; ;** के लिये 30% वृद्धि दर का पूर्वानुमान किया है, जो इस उपक्षेत्र की **izo-n-** से अधिक है, जिससे शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अन्तरालों को भरा जा सके तथा गुणात्मक सुधार हो सके।

fpfdRI k ,oa I kołtfud LokLF; & राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें पर्याप्त विकास की आवश्यकता है। उपलब्ध सुविधायें न केवल बहुत कम हैं, अनेक क्षेत्रों में वे परिवहन सुविधाओं के अभाव में विशेषतय: आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की पहुँच के बाहर हैं। यह उच्च शिशु मृत्यु दर, जन्म के समय कम जीवन प्रत्याशा एवं उच्च मृत्यु दर, जो **mMhl k** के बाद देश में सर्वाधिक हैं से परिलक्षित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जो चिकित्सा सेवाओं की रीढ़ हैं, के पास भवन, स्टाफ, दवाईयाँ एवं साज सामान के रूप में अधोसंरचना की कमी है। डाक्टरों एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ की अत्यधिक कमी है। राज्य में केवल दो चिकित्सा महाविद्यालय हैं। यद्यपि, नये राज्य के गठन के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिये अनेक चिकित्सा संस्थान खुल गये हैं, जिनमें अल्पकालीन पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं, इनमें से अधिकांश मानक स्तर के नहीं है तथा उनके पास सुविधाओं एवं अधोसंरचना की कमी है।

इस संबंध में हम बताना चाहेंगे, कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवायें चिकित्सा सेवाओं से भिन्न हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की भारत की जनता को रोगों से बचाने में अहम भूमिका है। **HKjr** में हम चिकित्सा सेवाओं पर अधिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर कम ध्यान देते हैं, जो चिकित्सा के बजाय रोगों की रोकथाम अधिक करती हैं। इनमें विविध प्रकार के कार्य शामिल होते हैं, जैसे मिलावट को चैक कर खाद्य सुरक्षा देना, कचरा निपटान व्यवस्था करना, साफ पेयजल उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, वध-गृहों का सुधार, पशुपालन के तरीके बताना, छूत से फैलने वाली बीमारियों एवं महामारियों को फैलने से रोकना तथा साफ-सफाई एवं पर्यावरण में सुधार करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का सर्वाधिक प्रभावी दृष्टिकोण है रोकथाम, न कि रोगों का उपचार। सार्वजनिक सेवाओं का वित्तपोषण तो सार्वजनिक स्रोतों से ही होगा, क्योंकि इन्हें प्रदान करने की बाजार की बहुत कम रुचि होती है। **la q r jkT; vefjdk** में भी, जहाँ अधिकांश चिकित्सा सेवायें निजी हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवायें मुख्यतः राज्य उपलब्ध कराता है। **HKjr** में कुल स्वास्थ्य बजट का एक अत्यन्त छोटा भाग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को आबंटित होता है। जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली चूक करती है, वहाँ जनता को बीमारी एवं मृत्यु के रूप में उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कमजोर सार्वजनिक सेवाओं से अनेक आर्थिक हानियाँ होती हैं, निवेशकों एवं सैलानियों के आकर्षण में कमी तथा निम्न श्रम-उत्पादकता। नवगठित राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ इस संबंध में पहल कर सकता है तथा चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिये स्वास्थ्य बजट का एक बड़ा भाग आबंटित कर सकता है। **futh {ks= fpdfRI k I fo/kkva ds {ks= ea vi uk nk; jk c<k I drs g I koitfud LokLF; ea ughA I koitfud LokLF; ds bl mi {ks= dh fplrk jkT; dks gh djuh gksxA**

वर्तमान में **I kekftd I okva** के इस उप-क्षेत्र पर राज्य के **jktLo 0; ;** का केवल 4% से 5% व्यय होता है, जो अत्यन्त कम है। **I -jk?k**

m- का यह 1% से भी कम है, जबकि राष्ट्रीय मानक इसे सघ.उ. के 3% के स्तर तक उठाने का है। इस प्रकार राज्य राष्ट्रीय मानक तथा राज्य की आवश्यकताओं दोनों से काफी पीछे है।

fpdRI k ,oa I kołtfud LokLF; की **izo`n-** 10.83% भी शिक्षा की 20.68% की दर से काफी कम है, इसे बढ़ाना होगा। राजस्व व्यय की 10.83% वृद्धि दर से सामाजिक सेवाओं के इस उपक्षेत्र के विस्तार एवं सुधार की जरूरतों की पूर्ति नहीं की जा सकती। हमने इस उप-मद की वृद्धि दर को 25% रखते हुये, इसके राजस्व व्यय का पूर्वानुमान का साहस किया है, जो 10.83% के **izo`n-** से काफी अधिक है। हमने अगले पाँच वर्षों में छलांग लगाने की अनुशंसा की है, जिससे इस उप-मद का व्यय कुल राजस्व व्यय के 2004-05 के 3.91% से बढ़कर 2009-10 में 4.68% तथा **I -jk?k-m-** के प्रतिशत में इसी अवधि में 0.63% से बढ़कर 0.84% हो सके।

ty vki frl ,oa I kQ&I Qkbz & वर्तमान में बमुश्किल कुल राजस्व व्यय का 3% इस उप मद को आबंटित होता है, जो 2004-05 में **I -jk?k-m-** का 0.36% था। यह उप मद वास्तव में सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक घटक है। जल आपूर्ति एवं साफ सफाई **u-LFkk-fuck; ka** एवं ग्रामीण क्षेत्रों में **iajk-l LFkkvka** के अधिकार क्षेत्र में भी आता है, परन्तु उनके पास आवश्यकताओं की तुलना में साधन कम हैं। पिछले पाँच वर्षों में **izo`n- 9-77%** रही, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उप-क्षेत्र से भी कम है। पूर्वानुमानों के लिये हम इस प्रतिशत को बढ़ाकर **20%** वार्षिक करना चाहेंगे।

vkokl ,oa uxjh; fodkl – नगरीय विकास एक ऐसा उप क्षेत्र है, जिसे नगरीय समस्याओं के समाधान हेतु अधिक साधनों की आवश्यकता है। पहले से ही इस उप-क्षेत्र के व्यय का **izo`n- 25.93%** वार्षिक है। हमने प्रक्षेपण अवधि के लिये इनके पूर्वानुमान वर्तमान **izo`n-** से कुछ अधिक 30% पर किया है।

Je , oajkstxkj & इस उप-क्षेत्र की **izo-n-** 12.26% वार्षिक रही है, इनका पूर्वानुमान वर्तमान **izo-n-** से कुछ अधिक 15% पर किया गया है।

vuq fpr tkfr , oa tutkfr dY; k.k & वर्तमान में कुल राजस्व व्यय का लगभग 7% से 10% भाग समाज के इस वर्ग के कल्याण पर व्यय किया जाता है। यह स.रा.घ.उ. का लगभग 1.05% से 1.70% है, परन्तु यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है, कि इस मद के व्यय में वृद्धि की दर अत्यन्त कम है, वर्ष 2001-02 से 2005-06 की अवधि की इसकी **izo-n-** 1.10% है, यह वृद्धि बहुत कम है। हमारा प्रस्ताव है – इसे प्रक्षेपण अवधि में बढ़ाकर 10% प्रतिवर्ष कर दिया जाय। संभव है, यह **izo-n-** की धीमी गति को बदलने में सहायक हो सके।

I kekftd I gj{kk , oa dY; k.k & वर्तमान में इस उप-क्षेत्र पर कुल राजस्व व्यय का बमुश्किल 4% से 5% भाग व्यय होता है। इसे कुल राजस्व व्यय के लगभग 6% से 7% तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इस उप-क्षेत्र की **izo-n-** काफी ऊँची है 25.6%। पूर्वानुमानों के लिये हमने इसमें थोड़ी सी वृद्धि कर 30% ही जारी रखेंगे। यह वृद्धि दर 2009-10 तक कुल राजस्व व्यय के हमारे लक्ष्य तक पहुँचा देगा ऐसी आशा की जा सकती है।

ikdfrd vkin; a & वर्तमान में सामाजिक सेवाओं के इस उप क्षेत्र को राजस्व व्यय का 1% से 2% से भाग आबंटित होता है। पिछले पाँच वर्षों की **izo-n-** नकारात्मक – 10.06% रही है। नकारात्मक प्रवृत्ति को पलटना होगा। हमने प्रक्षेपण अवधि के लिये इस उप क्षेत्र के राजस्व व्यय में 5% वार्षिक वृद्धि का पूर्वानुमान किया है।

I kekftd {ks= ds0; fDrxr enka I a/kh i wkZupkuka dk I kjkd k %

सामाजिक सेवाओं के व्यक्तिगत घटकों के लिये ऊपर वर्णित हमारी कार्यविधि एवं **I φ-k; h x; h of) nj** की सहायता से अब हम इस

स्थिति में हैं, कि प्रक्षेपण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये राजस्व व्यय की राशि का आकलन कर सके । **1 kj.kh Ø 79** में **1 kekftd 1 okvka ds 0; fDrxr ?kVdka ds fy; s vka/u** दिये गये हैं।

7.10.4 आर्थिक सेवायें :

राज्य द्वारा प्रदत्त आर्थिक सेवाओं में शामिल है, कृषि एवं संबद्ध क्रियाओं का विकास, ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा विकास, उद्योग एवं खनिज, परिवहन, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, सामान्य आर्थिक सेवायें।

मोटे तौर पर इस क्षेत्र में भौतिक अधो-संरचना के ऐसे महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं, जिन पर राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास निर्भर होता है। इन आर्थिक क्रियाओं में अधिकांश निजी क्षेत्र में हैं, परन्तु राज्य सरकार इनके विकास के लिये परिवहन, ऊर्जा, सिंचाई सुविधायें, विस्तार सेवायें तथा प्रशिक्षण एवं विकास जैसी अधो-संरचना एवं आदायें उपलब्ध कराती है। इन सेवाओं के विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय दो प्रकार का होता है – **jktLo 0; ; ,oa ipthxr 0; ;]** परन्तु **jktLo 0; ; dy 0; ; dk** लगभग 80% है तथा **ipthxr 0; ; dy 0; ; dk** एक छोटा अनुपात है। **jktLo 0; ;** मजदूरी एवं वेतन जैसे चालू व्यय के रूप में होता है, परन्तु **ipthxr 0; ;** भवन निर्माण, साज सज्जा, मशीनें, निर्माण कार्य, इत्यादि आस्तियों के निर्माण के रूप में होता है।

जैसा कि, पहले उल्लेख किया गया है, **NRrh x<+** राज्य की सड़कें, संचार, सिंचाई, गोदाम एवं भण्डारन, ऊर्जा, जैसी अधो-संरचना के मामलों में काफी नीचा स्थान है। ऊर्जा के संबंध में राज्य की स्थिति संतोषजनक है। यहाँ प्रति 1000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में 26 कि.मी. सड़के हैं, जो मध्य प्रदेश की तुलना में उसकी आधी एवं राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। स्थिति और अधिक

निराशाजनक तब हो जाती है, जब हम पाते हैं, कि देश में वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही बड़ी-बड़ी सड़क परियोजनाओं जैसे *Lof.kē prākṛit] iṃ&if'pe xfy; kjk rFkk mrj&nf{k.k xfy; kjk* में राज्य का कहीं नाम नहीं है। राज्य में रेलों का जाल भी 0.77 कि.मी. प्रति वर्ग कि.मी. है, जबकि यह मध्य प्रदेश में 1.92 कि.मी. तथा भारत में 1.91 कि.मी. है। यह निराशाजनक स्थिति को और बढ़ाता है। इस प्रकार राज्य में परिवहन का जाल नितान्त अपर्याप्त एवं कमजोर है, साथ में यह भी, कि इस स्थिति को सुधारने में केन्द्रीय सरकार का योगदान कम ही होगा। एक भीतरी प्रदेश के विकास के लिये वायु परिवहन एवं रेल सुविधायें महत्वपूर्ण होती हैं। राज्य में ये दोनों ही अपर्याप्त हैं। राज्य में केवल एक ही व्यापारिक हवाई अड्डा है, जो राज्य को चार महानगरों से जोड़ता है। महत्वपूर्ण रेल लाइन मुंबई-हावड़ा है, जो राज्य को दो महानगरों से जोड़ती है। इस तरह राज्य में परिवहन सुविधायें अत्यन्त कमजोर हैं तथा यह तथ्य राज्य के तीव्र विकास की प्रमुख बाधा है। संचार के क्षेत्र में भी राज्य में टेलीफोन एवं डाक सेवायें बहुत कम हैं।

सिंचाई सुविधाओं के संबंध में स्थिति यह है, कि बोये गये क्षेत्र के 70% की आंकी गयी क्षमता के विरुद्ध वास्तविक सिंचित क्षेत्र केवल लगभग 19% है। राज्य की कृषि प्रमुखतः वर्षा पर निर्भर है, जो अनिश्चित एवं अस्थिर है। राज्य में 1960 के दशक की हरित क्रांति नहीं आई तथा अब जब अनेक राज्य दूसरी हरित क्रांति की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ अन्य कृषि विकसित राज्यों से काफी पीछे है। सिंचाई पर निवेश का प्रतिलाभ नगण्य है, जिसका परिणाम यह है, कि उसके रख-रखाव के लिये भी राशि नहीं जुट पाती। उपभोक्ताओं के संघों की दिलचस्पी राजस्व वसूली में न होकर मुख्यतयः प्रबंधन की साझेदारी में है।

सौभाग्य से कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिये राज्य में ऊर्जा की आपूर्ति पर्याप्त है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण एवं उसके परिणामस्वरूप

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ ने ऊर्जा की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं संयंत्र भार गुणांक को सुधारने के लिये प्रयास किये हैं। इस कारक का लाभ घरेलू एवं विदेशी दोनों निवेशों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते अन्य अधो-संरचनात्मक कमियाँ दूर कर दी जाय।

जैसा कि, पूर्व में बताया गया है, राज्य का महत्वपूर्ण आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। एक चिन्ताजनक तथ्य यह है, कि पूर्व से निर्मित आस्तियों के रख-रखाव के लिये राज्य पर्याप्त प्रावधान नहीं करता। सड़कें, सिंचाई एवं जल आपूर्ति के रख-रखाव की केवल 30% जरूरतों की पूर्ति हो पाती है, *ijlurqek= vkca/uc<kus l s dk; Z ugha cusxkj tc rd l gh izdkj dh j.kulfr ,oa l gh i kfkfedrkvka dk puko ughafd; k tkrk rFkk jkf'k; ka dk i lkkoh mi ; ksx ugha gkrka*

राज्य में कृषि सब्सिडी, ऊर्जा की निःशुल्क आपूर्ति, कम सिंचाई शुल्क तथा सब्सिडी युक्त अन्य आदाओं के माध्यम से दी जाती है। सब्सिडी छोटे एवं सीमांत किसानों के लिये जारी रखी जा सकती है, परन्तु बड़े किसानों के लिये नहीं, जो वर्तमान में विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं में प्रमुख लाभार्थी हैं। *;g vf/kd mfpr gksxkj ; fn l fcl Mh ds LFku ij xkeh.k v/kks&l jpk rFkk d'k 'kksk ,oa foLrkj l dk ea vf/kd fuos'k fd; k tk;A* पिछले कुछ समय में हम पाते हैं, कि निवेश घट रहा है तथा सब्सिडी बढ़ रही है। यह नीति कृषि उत्पादकता एवं प्रति एकड़ उपज के लिये ठीक नहीं है।

हाल ही में *MKW , e-, l - LokhukFku]* भारत की प्रथम हरित-क्रांति के प्रमुख शिल्पी तथा वर्तमान में कृषकों के लिये राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष ने कृषि के नवीनीकरण हेतु एक कार्यक्रम का सुझाव दिया है, जिसमें

पाँच प्रमुख उपाय हैं : भूमि की गुणवत्ता में सुधार, जल संचयन, सस्ता एवं सुगम ऋण, फसल एवं जीवन बीमा में सुधार, कृषि के विविधीकरण के लिये नये तकनीकों का विकास एवं उनका प्रसार तथा विपणन का नियमन। इन उपायों में दो और जोड़ देने चाहिये। बीज सुधार एवं औषधि खेती के लिये विज्ञान एवं बायो-तकनीक का उपयोग तथा पशुपालन एवं मुर्गीपालन की उत्पादकता में वृद्धि हेतु पशुपालन में सुधार, परन्तु हमें ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करनी चाहिये, जो वहन करने योग्य हो तथा जो छोटे एवं सीमान्त किसान के लिये विशेषकर राज्य के सूखा प्रभावित एवं आदिवासी क्षेत्रों के लिये उपयुक्त हो। राज्य द्वारा कृषि पर किये गये व्यय की राशि को देखते हुये यह कहा जा सकता है, कि इस क्षेत्र के लिये राज्य के प्रयास अपर्याप्त हैं।

इन प्रारम्भिक विचारों के बाद अब हम अध्याय के प्रमुख उद्देश्य पर आते हैं, जो पिछले अध्याय में हमारे द्वारा तैयार वृहत पूर्वानुमानों की पृष्ठभूमि में, राजस्व लेखे में, आर्थिक सेवाओं के विकास (संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों) के लिये राज्य कोषों के पूर्वानुमान तैयार करें।

पूर्वानुमानों के पूर्व हम **वर्ष 2000-01 के लिये राजस्व व्यय का पूर्वानुमान** को प्रस्तुत करेंगे। **अध्याय 7-10** में यही किया गया है।

विकास एवं संघारण की जरूरतों को देखते हुये, आबंटन अत्यन्त कम है। राज्य अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र को राजस्व व्यय की लगभग 25% राशि जाती है, परन्तु हाल के वर्षों में इस प्रतिशत में कमी होना प्रारंभ हो गया है।

वर्ष 2000-01 के लिये राजस्व व्यय का पूर्वानुमान :

अध्याय 7-10 में अब हम प्रथम मद-कृषि एवं संबद्ध क्रियाओं को लेंगे, जिनका राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में राज्य के **अध्याय 7-10** का लगभग 14% से 15% इस उप-क्षेत्र को जाता है।

प्रक्षेपण अवधि के लिये **jktLo 0; ; dk iɔkʌpku** किस दर पर किया जाय? वर्ष 2001-02 से 2005-06 की अवधि में **iɔ-n-** काफी ऊँची रही है 24.26%। पूर्वानुमान थोड़ा अधिक 25% दर पर किया गया है, क्योंकि कृषि एवं संबद्ध क्रियाओं के महत्व को देखते हुये, **bl s c<kuk vko' ; d gʌ** हमारे पूर्वानुमानों के अनुसार व्यय का स्तर 2004-05 के कुल राजस्व व्यय के 13.59% से बढ़कर 2009-10 में 16.29% हो जाने का पूर्वानुमान है।

xkeh.k fodkl : इस उप-क्षेत्र की **iɔ-n-** 18.53% है, हमने प्रक्षेपण अवधि के लिये पूर्वानुमानों हेतु इस वृद्धि दर से कुछ अधिक 22% की दर को अपनाया है। **dy jktLo 0; ; ds ifr'kr** के रूप में **xkeh.k fodkl** का अंश 2004-05 के 6.20% से बढ़कर 2009-10 में 6.58% हो जायगा।

fl pkbʌ , oa ck<+fu; æ .k : यह आश्चर्यजनक है, कि सिंचाई के राजस्व व्यय की **iɔ-n- udkjRed** (-)1.90% रही है। **dy jktLo 0; ; ds ifr'kr** में इस उप क्षेत्र का अंश 3% से भी कम है तथा इसमें और निरंतर गिरावट हो रही है। हम सिंचाई के लिये पूंजीगत लेखों में भारी वृद्धि की अनुशंसा करना चाहेंगे। हमारा प्रस्ताव इस उपक्षेत्र के आबंटन में छलांग लगाते हुये, इसे 5% वार्षिक के **l dkjRed** स्तर पर ले जाने का है। राजस्व व्यय का मुख्य उद्देश्य सिंचाई श्रृंखला का संधारण तथा सब्सिडी को शामिल करते हुये वर्तमान व्यय की पूर्ति करना है।

Åtkʌ : ऊर्जा पर राजस्व व्यय प्रमुख रूप से राज्य सरकार द्वारा विद्युत मण्डल को समाज के कतिपय वर्गों को निःशुल्क अथवा सहायता युक्त कीमत पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिये सब्सिडी के रूप में देने के लिये होता है। इस मद की **iɔ-n-** 20.50% है, परन्तु हम इस मद के पूर्वानुमान **bl l s de nj** 10% पर करना चाहेंगे। इस आशा के साथ, कि सब्सिडी के आकार में कुछ कमी आयेगी। हमारा प्रस्ताव कुल राजस्व व्यय में इस मद के अंश को 2004-05 के 2.17% से घटाकर 2009-10 में 1.37% करना है।

m | ksx , oa [kfut : इस मद के राजस्व व्यय का उद्देश्य विभिन्न रियायतों एवं सुविधाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों की सहायता करना तथा खनिजों विशेषकर लघु खनिजों के विकास में योगदान देना है। चूंकि इस उपक्षेत्र का वर्तमान आबंटन कम है, हमने इसमें सीमांत वृद्धि की है। 2001-02 से 2005-06 की अवधि की **izo`n-** 24.55% रही है, परन्तु हमने पूर्वानुमान 25% की दर पर किये हैं। इस वृद्धि से **dy jktLo 0; ;** में इस मद का अंश 2004-05 के 0.86% से बढ़कर 2009-10 में 1.03% होने की संभावना है।

ifjogu :- इस मद का राजस्व व्यय सड़कों एवं पुलों के संधारण पर होता है। राज्य सरकार ने अपने रोडवेज के परिचालन हेतु स्वयं के सड़क परिवहन निगम का गठन नहीं किया है, परन्तु राज्य को अविभाजित एमपी.एस.आर.टी.सी. की अपनी देनदारियों को निभाना होगा। इस क्षेत्र की **izo`n- udkjRed (-)** 1.22% रही है। यह अफसोस की बात है, कि **izo`n-** नकारात्मक है, विशेषकर तब जब राज्य में परिवहन सुविधाओं की कमी है। यद्यपि परिवहन के विकास के लिये अधिकांश राशियाँ राज्य के पूंजी बजट से प्राप्त होती हैं, फिर भी संधारण के लिये भारी राशि की आवश्यकता होती है। हमने इस उप क्षेत्र के राजस्व व्यय का पूर्वानुमान 5% की उच्च दर पर किया है, जिससे परिवहन तंत्र की बढ़ती हुई संधारण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

vU; %oKku] i kS| kfxdh rFkk i ; kbj .k½ : चूंकि वर्तमान में इस मद के लिये बहुत अधिक राशि निर्धारित है तथा इनके विकास कार्यों का प्रारंभ हाल ही में हुआ है। अतः हमने इसके राजस्व व्यय को 80% की वृद्धि दर पर पूर्वानुमानित किया है। इससे कुल राजस्व व्यय में इस मद का अंश 2004-05 के 0.32% से बढ़कर 2009-10 में 2.36% हो जायेगा।

अब हम *vkffkd I okva , oa mucs fofhku ?kVdka ds jktLo 0; ; kj* जिनकी गणना प्रत्येक घटक के लिये विकसित कार्य विधि के अनुसार की गई है, को प्रस्तुत करेंगे। *I kj.kh Øekad 7-11* में ये पूर्वानुमान दिये गये हैं।

7-10-5 *I gk; rk vuqku , oa LFkkuh; fudk; ka dks {kfrifrl %* राज्य सरकार, स्थानीय निकायों को *jkfo-vk-* द्वारा अनुशंसित एवं *jkT; I jdkj }kjk Lohdr jkTkdkskh; iSt* के अनुसार सहायता अनुदान देती रही है। अभी तक स्थानीय निकायों को राज्य से तत्कालीन राज्य मध्यप्रदेश के *iFke jkfo-vk* की अनुशंसाओं के अनुसार राशियों का अंतरण प्राप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ने मध्यप्रदेश सरकार के *f}rh; jkfo-vk* की अनुशंसाओं को लागू नहीं किया है। इसके स्थान पर *iFke vk; ksx dh vuqka kvka dk fØ; klu; u tkjh j[kk x; k g* अब जबकि *NRrhl x<+ jkT; dk iFke jkfo-vk dk; jr~gs* तथा उसका प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रस्तुत होगा, राज्य सरकार को अपने स्वयं के *iFke forr vk; ksx* की अनुशंसाओं को क्रियान्वित करना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना है तथा स्थानीय निकायों के आबंटन में वृद्धि करना है, जिससे राज्य सरकार अपने प्रथम *jkfo-vk-* की अनुशंसाओं को क्रियान्वित कर सके। इस उप मद की *ix-n-* 25.61% है तथा अधिनिर्णय अवधि के लिये हमने 30% तक बढ़ा दिया है। इस वृद्धि से *jkT; ds jktLo 0; ; ea LFkkuh; fudk; ka dk vdk* 2004—05 के 3.55% से बढ़कर 2009—10 में 5 18% हो जायेगा।

I kj.kh Ø 7-12 में *iokuæfur jktLo 0; ; dh I eedr fLFkr rFk fofhku {ks-ka , oa mi {ks-ka ea ml dk fohktu* प्रस्तुत किया गया है ।

7.10.6 *I kj.kh Ø- 7-13 , oa 7-14* में *jkT; I jdkj ds fofhku I okva ds jktLo 0; ; dks dy jktLo 0; ; ds ifr'kr ea rFk I -jk?km- ds ifr'kr ea*

प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत समकों में 2001&02 I s 2004&05 तक के okLrfod हैं तथा 2005&06 I s 2009&10 तक के iokLrpfur हैं।

7.10.7 geus iokLrpfur jktLo 0; ; dk 2009&10 ds ifr 0; fDr 0; ; ij 2004&05 dh rgyuk ea iMus okys iHkko dks I kj.kh Ø- 7-15 में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। IokLrkd ifr'kr of) f'k{kk (सामाजिक सेवाओं का अंग) (239.47%) तथा इसके बाद के क्रम में समूह वार हैं – सामाजिक सेवायें (190.12%), सार्वजनिक स्वास्थ्य (179.02%), अर्थिक सेवायें (154.41%), सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान एवं पेंशन छोड़कर) (132.76%) एवं न्यूनतम वृद्धि जल आपूर्ति एवं साफ सफाई (127.49%) लिये पूर्वानुमानित है। यही वे लक्ष्य हैं, जिन्हें राज्य सरकार को 2009–10 तक प्राप्त करने होंगे।

7.11.0 पूँजीगत व्यय एवं उसके घटकों के पूर्वानुमान :

7.11.1 यद्यपि jkfo-vk का मुख्य कार्य राजस्व लेखे की प्राप्तियों एवं व्यय की समीक्षा एवं उनके पूर्वानुमान करना है, परन्तु हमने राज्य वित्त की समग्र स्थिति प्रस्तुत करने के उद्देश्य से पूँजीगत व्यय एवं उसके घटकों की भी समीक्षा एवं पूर्वानुमान तैयार किये हैं। आगे हमारा मुख्य कार्य राज्य के कुल पूँजीगत व्यय के व्यक्तिगत घटकों के पूर्वानुमान तैयार करना होगा।

7.11.2 सार्वजनिक निवेश को विकास का प्रधान स्रोत माना जाता है। निवेश के द्वारा यह भौतिक एवं मानवीय दोनों अधोसंरचनाओं के निर्माण तथा निजी निवेश के प्रेरक एवं अनुकूलक के रूप में संपन्न करता है। पूँजीगत व्यय का उपयोग प्रधानतः उत्पादक आस्तियों के निर्माण में किया जाता है। पिछले अध्याय में हमने सुझाव दिया है, कि बढ़ते हुये पूँजीगत व्यय का वित्त पोषण बाजार एवं अन्य स्रोतों से ऋण लेकर किया जा सकता है तथा इसके लिये घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया जा सकता है। ,d fclnq ftI s ge nkgjkuk plgx} fd fdl h Hkh I jr ea jktLo 0; ; dh ifrL __.k ydJ ugha djuh pkfg; A

7.11.3 I kj.kh Ø- 7-16 में jkT; dk i pthxr 0; ; प्रस्तुत किया गया है, o"K 2001&02 I s 2004&05 rd ds okLrfod gš rFkk 2005&06 I s 2009&10 ds i wkZupku gš

7.11.4 dgy 0; ; , oa I -jk?k-m- nkuka ds ifr'kr के रूप में राज्य के i pthxr 0; ; में काफी वृद्धि हुई है, विशेषतया प्रक्षेपण अवधि में। इसके 2005—06 में dgy 0; ; के 23.32% से बढ़कर 2009—10 में 25.64% तथा I -jk?k-m- ds ifr'kr के रूप में इसी अवधि में 5% से बढ़कर 6.20% हो जाने का पूर्वानुमान है।

7.11.5 dgy i pthxr 0; ; ds ifr'kr ds : i ea fofHku I ok I engka dk vdk I kj.kh Ø- 7-17 में प्रस्तुत किया गया है।

7-12-0 i pthxr 0; ; ds ?kVd&okj i wkZupku %

7.12.1 इसी अध्याय में राजस्व व्यय के विभिन्न घटकों के पूर्वानुमानों के लिये हमने व्यय के संबंधित मदों की idfr of) njka का उपयोग किया है। i pthxr 0; ; ds i wkZupku के लिये हमें ये विधि अनुपयुक्त लगी। पूँजीगत व्यय के संबंध में हमने एक द्वि—स्तरीय सरल विधि का उपयोग किया है। ifke Lrj ij geus pkjka I ok I engka ds fy; s 2002&03 I s 2004&05 ds rhu o"kkā dk vkr r yrs gq s dgy i pthxr 0; ; ea muds vdk dk i wkZupku fd; kA इस आधार पर प्रक्षेपण अवधि के लिये पूँजीगत व्यय के पूर्वानुमान हेतु हमें जो अनुपात प्राप्त हुये, वे निम्नानुसार हैं —

Ø	fooj .k	okLrfod	i wkZupku
1	कुल पूँजीगत व्यय में सामान्य सेवाओं का अंश	1.89%	2%
2	कुल पूँजीगत व्यय में सामाजिक सेवाओं का अंश	15.24%	19%

3	कुल पूँजीगत व्यय में आर्थिक सेवाओं का अंश	66.11%	68%
4	कुल पूँजीगत व्यय में ऋण एवं अग्रिमों का अंश	16.75%	11%

7.12.2 *f}rh; Lrj ij] geus ml h fof/k dk mi ; ksx fd; k rFlk bu l engka ds 0; fDrxr ?kVdka ea i pthxr 0; ; dk vkca/u] i R; d ?kVd ds rhu o"kk 2002&03 l s 2004&05 ds vk] r vk ds vk/kkj ij fd; ka* द्वितीय स्तर में पूँजीगत व्यय के व्यक्तिगत घटकों के पूर्वानुमान निम्नलिखित अनुपातों के आधार पर किये गये हैं, जो कुल परिवर्तनों के साथ तीन वर्षों के औसत हैं।

l keftd l dk; %

Ø	fooj . k	okLrfod	i wk]epku
1	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2.30%	4.00%
2	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2.38%	3.00%
3	आवास एवं नगर विकास	3.87%	3.47%
4	अनुसूचित जाति, जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	5.07%	5.07%
5	जल आपूर्ति एवं सफाई	0.09%	1.93%
6	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं पोषाहार	1.51%	1.51%
7	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.02%	0.02%

द्वय I के फलतः d I षक, a	15.24%	19.00%
--------------------------	--------	--------

वर्षिक d I षक; a%

Ø-	fooj .k	okLrfod	i षकुषकु
1	कृषि और संबद्ध क्रियाएं	2.20%	3.20%
2	ग्रामीण विकास	2.73%	2.73%
3	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	37.60%	37.60%
4	परिवहन	22.77%	22.77%
5	ऊर्जा	-	0.90%
6	उद्योग एवं खनिज	0.69%	0.69%
7	अन्य	0.11%	0.11%
द्वय वर्षिक d I षक, a		66.11%	68.00%

7.12.3 **fofHku I egka ds i pthxr 0; ; ka** के ऊपर वर्णित विधि के आधार पर आकलित पूर्वानुमान I kj .kh Ø- 7-18] 7-19] 7-20 में दिये गये हैं ।

7.13.0 बजटीय सुधार :

7.13.1 राज्य सरकार के वित्त की पुनर्रचना की प्रक्रिया बजट प्रक्रियाओं एवं बजट बनाने की प्रक्रिया में पुनर्रचना के अनुकूल परिवर्तन किये बिना पूरी नहीं होगी।

7.13.2 छत्तीसगढ़ सरकार मुख्य रूप से उन्हीं बजट प्रक्रियाओं को उनके तमाम कमियों एवं दोषों के साथ अपनाती रही है, जो तत्कालीन मध्यप्रदेश में प्रचलित थे। अब समय आ गया है, जब नई सरकार अपनी स्वयं की प्रक्रियायें एवं बजट तैयार करने की विधियां विकसित करे। *bl l xdk ea vk; ksx dk l q-ko g\$ fd jkT; l jdkj fo'kskK@fo'kskKka dh ,d l fefr fu; qR dj\$ tks ctVka dks ikjn'khl ,oa miHkkDrk&fe= cukus ,oa jkT; foRr dh i qjpk ds vuqly djus ds mnns; l s ctVh; l qkkjka dh vuqka k djA* इस संदर्भ में यह उल्लेख करना समीचीन होगा, कि वर्ष 2000 में *egkj'V^a l jdkj* ने पूर्व मानसेवी सचिव भारत शासन *Mk- ek/ko xkMoksys* की अध्यक्षता में राज्य सरकार की बजट बनाने एवं तत्संबंधी अन्य प्रक्रियाओं में सुधार की योजना तैयार करने संबंधी अनुशंसायें करने के लिये एक एक सदस्यीय समिति गठित की थी।

7.13.3 *ctV ds nLrkostka e\$* संबंधित वर्ष के *l -jk?km- ds ifr'kr ds : i ea* राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे एवं प्राथमिक घाटे के आकार संबंधी जानकारी होनी चाहिये। बजट में ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात एवं ब्याज भुगतानों, कुल प्राप्तियों के प्रतिशत में, संबंधी जानकारी भी होनी चाहिये। यही जानकारी *ctV l qki* के लिये भी आवश्यक है। उसी दस्तावेज में *Lo; a ds dj jktLo ,oa dlnh; djka ds vlk* संबंधी जानकारी को अलग-अलग दर्शाया जाये।

7.13.4 बजट के साथ प्रतिवर्ष *foHkx&okj foHklu ifj; ktukva* के संबंध में वर्तमान में चालू कार्य, प्रारम्भिक लागत, पुनरीक्षित लागत तथा परियोजना पूरी करने के लिये आवश्यक शेष राशि की समेकित जानकारी देनी चाहिये।

7.13.5 प्रतिवर्ष बजट पूर्व प्रस्तुत राज्य का *vlffkd l oqk.k* केवल आँकड़ों की प्रस्तुति नहीं होना चाहिये। उसमें विभिन्न क्षेत्रों में हुये विकास की आलोचनात्मक समीक्षा

होनी चाहिये तथा सुझाव भी देना चाहिये। *vkfFkdI ,oa I kf[; dh I pkyuky;* को 'सर्वेक्षण' तैयार करने में परामर्श देने के लिये एक *I ā kn dh; eMy dk xBu* करना चाहिये।

7.13.6 वित्त विभाग के द्वारा *^e/; e dkyhu jkt dksh; I qkkj ,oa jkT; foRr dh i qjpkuk^* शीर्षक से एक दस्तावेज सार्वजनिक *cgl ds fy; s fudyuk pkfg; A foRr foHkx dh {kerk ea I qkkj dh n^V I s vko'; d g\$ fd foHkx ea Lo; a dh , d vPNh yk; cjh ,oa , d 'kksk bdkbz ftI ea I koZtfud jktLo {ks= ds I q kx; 'kkskdrkz gk\$ gksuh pkfg; A*

7.13.7 प्रत्येक विभाग को अपनी *vYi dkyhu ;kst ukvka ds I kfk nh?kdkyhu ;kst uk, a* भी बनाना चाहिये और इसी आधार पर विभागीय बजट बनाया जाना चाहिये। ताकि निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित समय पर पाया जा सके।

7.13.8 बजट के साथ विभिन्न विभागों का *fu"iknu ctV* भी प्रस्तुत होना चाहिये, जो सार्वजनिक व्यय का उत्पादन एवं परिणाम पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करें।

सारणी क्र. 7.1
 0; fDrxr djksd i wkufku
 1/2004&05 I s 2009&10½

(करोड़ रू. में)

Ø-	dj	ok-i zo- n-	i zi zo- n-	okLrfod	i wkufur				
					04-05	05-06	06-07	07-08	08-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भू-राजस्व	32.64	32.64	28.69	38.05	50.48	66.95	88.80	117.79
				(0.89)	(0.95)	(1.02)	(1.09)	(1.16)	(1.23)
2.	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन	22.64	22.64	247.77	303.87	372.66	457.03	560.50	687.40
				(7.68)	(7.61)	(7.52)	(7.42)	(7.30)	(7.18)
3.	राज्य उत्पादन कर	16.58	20.00	458.27	549.92	659.91	791.89	950.27	1140.32
				(14.20)	(13.77)	(13.31)	(12.85)	(12.38)	(11.91)
4.	बिक्री कर (मूल्य वर्धित कर)	23.46	28.00	1673.86	2142.54	2742.45	3510.34	4493.23	5751.34
				(51.86)	(53.63)	(55.33)	(56.97)	(58.55)	(60.09)
5.	मोटरयान कर	14.71	14.71	191.80	220.01	252.38	289.50	332.09	380.94
				(5.94)	(5.51)	(5.09)	(4.70)	(4.33)	(3.98)
6.	माल एवं यात्रियों पर कर	15.63	20.00	287.13	344.56	413.17	496.16	595.39	714.47
				(8.90)	(8.63)	(8.34)	(8.05)	(7.76)	(7.46)
7.	बिजली पर शुल्क	14.86	20.00	308.92	370.70	444.84	533.81	640.58	768.69
				(9.57)	(9.28)	(8.98)	(8.66)	(8.35)	(8.03)
8.	अन्य	-20.03	-20.03	31.43	25.13	20.10	16.07	12.85	10.28
				(0.97)	(0.63)	(0.41)	(0.26)	(0.17)	(0.11)

9.	; ksx			3227.87	3994.79	4956.29	6161.76	7673.72	9571.23
10.	I -jk-?k-m- dk i fr'kr			(7.34)	(7.70)	(8.09)	(8.53)	(9.00)	(9.51)

(कोष्टक में कुल स्वयं के कर राजस्व से प्रतिशत दिये गये हैं)

ok-i zo`n- — वास्तविक प्रवृत्ति वृद्धि दर, i zi zo`n- — प्रस्तावित प्रवृत्ति वृद्धि दर ।

सारणी क्र. 7.2

0; fDrxr djks ds dj I -jk-?k-m- vuq kr
1/2004&05] 2005&06 , oa 2009&10½

Ø-	dj	2004-05	2005-06	2009-10
1	2	3	4	5
1.	भू-राजस्व	0.07	0.07	0.12
2.	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन	0.56	0.59	0.68
3.	राज्य उत्पादन कर	1.04	1.06	1.13
4.	बिक्री कर (मूल्य वर्धित कर)	3.81	4.13	5.72
5.	मोटरयान कर	0.44	0.42	0.38
6.	माल एवं यात्रियों पर कर	0.65	0.66	0.71
7.	बिजली पर शुल्क	0.70	0.71	0.76
8.	अन्य कर	0.07	0.05	0.01
	; ksx	7.34	7.70	9.51

सारणी क्र. 7.3

jkT; ds dy xj&dj jkLo ea fofHdu enkak i fr'kr
1/2001&02 I s 2005&06½

Ø-	dj	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
1.	jktdksh; I ok; a	7.49	12.68	13.99	8.14	8.31
i)	ब्याज प्राप्ति	6.80	10.00	10.89	8.14	7.98
ii)	लाभांश	0.69	2.67	3.10	0.00	0.33
2.	I kekl; I ok; a	4.24	8.70	8.80	5.26	3.89
3.	I keftd I ok; a	3.52	3.33	2.11	1.84	2.73

4.	vkFkd I dk; a	1054.39	1160.24	1380.69	1643.02	1955.19	2326.68
i.	कृषि एवं ग्रामीण विकास	23.29	20.13	23.96	28.51	33.93	40.37
ii.	वन	159.85	179.85	214.03	254.69	303.08	360.67
iii.	खनन	684.26	825.40	982.23	1168.85	1390.93	1655.21
iv.	सिंचाई	79.96	86.00	102.34	121.79	144.93	172.47
v.	अन्य	107.03	48.85	58.13	69.18	82.32	97.96
	dy xj&dj jktLo	1243.93	1480.28	1761.53	2096.22	2494.50	2968.46

सारणी क्र. 7.6

NRrhl x<+I jdkj dh dy jktLo ikflr; kads l cak ea
jk-fo-vk- }kjk r\$ kj i wkZepkuka dk l jkdk
2005&06 l s 2009&10½

(करोड़ रु.में)

Ø-	Lo; adk dj jktLo	2005-06	06-07	07-08	08-09	09-10
1	2	3	4	5	6	7
I.	Lo; adk dj jktLo	3994.79	4956.29	6161.76	7673.72	9571.23
i)	भू राजस्व	38.05	50.48	66.95	88.80	117.79
ii)	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन	303.87	372.66	457.03	560.50	687.40
iii)	राज्य उत्पादन कर	549.92	659.91	791.89	950.27	1140.32
iv)	बिक्री कर	2142.54	2742.45	3510.34	4493.23	5751.34
v)	मोटरयान कर	220.01	252.38	289.50	332.09	380.94
vi)	माल एवं यात्रियों पर कर	344.56	413.47	196.16	595.39	714.47
vii)	बिजली उपकर	370.70	444.84	533.81	640.58	768.69
viii)	अन्य	25.13	20.10	16.07	12.85	10.28
II.	xj&dj jktLo	1480.28	1761.53	2096.22	2494.50	2968.46
1)	राजकोषीय सेवायें	171.71	204.34	243.16	289.36	344.34
i)	ब्याज	143.29	170.52	202.91	241.47	287.35
ii)	लाभांश	28.42	33.82	40.25	47.89	56.99
2)	सामान्य सेवायें	112.35	133.70	159.10	189.33	225.31
3)	सामाजिक सेवायें	35.97	42.81	50.94	60.62	72.13
4)	आर्थिक सेवायें	1160.24	1380.69	1643.02	1955.19	2326.68
i)	कृषि एवं ग्रामीण विकास	20.13	23.96	28.51	33.93	40.37
ii)	वन	179.85	214.03	254.69	303.08	360.67
iii)	खनन	825.40	982.23	1168.85	1390.93	1655.21
iv)	सिंचाई	86.00	102.34	121.79	144.93	172.47
v)	अन्य	48.85	58.13	69.18	82.32	97.96

III.	dy Lo; adk jktLo %dj\$ xj&dj½	5475.07	6717.82	8257.98	10168.22	12539.69
IV.	dlnz l sglrkj.k %djka dk vak , oa l gk; rk vuqku½	3443.57	4270.02	5294.83	6565.59	8141.33
V.	dy jktLo ikflr; kW	8918.64	10987.84	13552.81	16733.81	20681.02
VI.	l -jk-?k-m-dk ifr'kr	17.18	17.94	18.75	19.62	20.55

सारणी क. 7.7

jkT; ds xj&; kstuk , oa; kstuk jktLo 0; ; ds iwkupku
½2005&06 l s 2009&10½

%djkm+ : - में ½

Ø-	en	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्व व्यय (गैर-योजना)	5952.88	7024.40	8288.79	9780.77	11541.31
2.	राजस्व व्यय (योजना)	2578.16	3160.50	3953.88	5042.36	6547.14
3.	dy jktLo 0; ;	8531.04	10184.90	12242.68	14823.14	18088.45
4.	स.रा.घ.उ. के % में	16.44	16.63	16.94	17.38	17.98

सारणी क. 7.8

l kekl; l okvka ds fofHku enka ds jktLo 0; ; ds iwkupku
½2005&06 l s 2009&10½

%djkm+ : -में½

Ø-	en	okLrfod				i wkupfur	
		2004-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राज्य के अंग	68.66	78.96	90.80	104.42	120.09	138.10
2.	राजकोषीय सेवाएं	114.34	124.58	135.75	147.91	161.16	175.60
3.	ब्याज भुगतान एवं ऋण परिशोधन (ब्याज भुगतान)	1359.91 (1151.91)	1509.50 (1249.82)	1675.55 (1356.06)	1859.86 (1471.32)	2064.44 (1596.38)	2291.53 (1732.08)

4.	प्रशासकीय सेवाएं	417.03	456.36	499.39	546.48	598.02	654.41
5.	पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं	534.03	581.72	633.67	690.25	751.89	819.04
6.	I kelt d I okvka ds fofHku enka ds jktLo 0; ;	2493.97	2751.12	3035.15	3348.92	3695.60	4078.68
7.	dy jktLo 0; ; dk %	35.11	32.25	29.80	27.35	24.93	22.55
8.	I jk?km-dk %	5.67	5.30	4.96	4.63	4.33	4.05

सारणी क्र. 7.9

I kelt d I okvka ds fofHku enka ds jktLo 0; ; ds iokvku 2005&06 I s 2009&10

(करोड़ रु. में)

Ø.	en	okLrfod				iokvku	
		2004-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1136.41	1477.33	1920.53	2496.69	3245.70	4219.41
2.	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	277.60	347.00	433.75	542.19	677.73	847.17
3.	जल आपूर्ति एवं साफ सफाई	158.45	190.14	228.17	273.80	328.56	394.27
4.	आवास एवं नगरीय विकास	69.77	90.70	117.91	153.28	199.27	259.05
5.	श्रम एवं रोजगार	24.79	28.51	32.78	37.70	43.36	49.86
6.	अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग	460.97	507.07	557.77	613.55	674.91	742.40
7.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं पोषाहार	284.85	370.31	481.40	625.82	813.56	1057.63
8.	प्राकृतिक आपदा राहत	6.58(96*)	100.80	105.84	111.13	116.69	122.52
9.	अन्य	11.53	13.07	14.82	16.81	19.06	21.61
10.	I kelt d	2430.95	3124.93	3892.98	4870.98	6118.84	7713.93

	10kvkaij dy jktLo 0; ;						
11.	dy jktLo 0; ; dk %	34.22	36.63	38.22	39.79	41.28	42.65
12.	स.रा.घ.उ. का %	5.53	6.02	6.36	6.74	7.18	7.67

टीप : *औसत तीन वर्ष (2003-04 से 2005-06)

सारणी क्र. 7.10
jkt; ea vkfFkd 10kvkaij jktLo 0; ;
1/2001&02 1s 2005&06½

(करोड़ रु. में)

Ø-	en	2001-02	02-03	03-04	04-05	05-06
1	2	3	4	5	6	7
1.	आर्थिक सेवाओं पर कुल राजस्व व्यय	1150.59	1443.06	1917.23	1925.63	2302.34
2.	कुल राजस्व व्यय का %	23.41	26.10	29.05	27.11	26.76
3.	स.रा.घ.उ. का %	3.89	4.57	5.14	4.38	4.44

सारणी क्र. 7.11
vkfFkd 10kvka ds fofHku enka ds jktLo 0; ; ds i0kÙkfu
1/2005&06 1s 2009&10½

(करोड़ रु.में)

Ø-	en	okLrfod			i0kÙkfu		
		2004-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कृषि एवं संबद्ध क्रियाएं	965.57	1206.96	1508.70	1885.88	2357.35	2946.69
2.	ग्रामीण विकास	440.58	537.51	655.76	800.03	976.03	1190.76
3.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	120.51	126.54	132.86	139.51	146.48	153.80
4.	ऊर्जा	153.97	169.37	186.30	204.93	225.43	247.97
5.	उद्योग एवं खनिज	60.76	75.95	94.94	118.67	148.34	185.42

6.	परिवहन	161.62	169.70	178.19	187.10	196.45	206.27
7.	वृद्धि	22.62	40.72	73.29	131.92	237.46	427.42
8.	वृद्धि के लिए व्यय	1925.63	2326.74	2830.04	3468.03	4287.53	5358.34
9.	वृद्धि के लिए व्यय का प्रतिशत	27.11	27.27	27.79	28.33	28.92	29.62
10.	वृद्धि के लिए व्यय का प्रतिशत	4.38	4.48	4.62	4.80	5.03	5.33

वृद्धि में शामिल है – विज्ञान एवं प्रौद्योगिक एवं सामान्य आर्थिक सेवाएं।

सारणी क्र. 7.12
 foHkku {ks=ka , oami {ks=ka ds jktLo 0; ; ds i wkLpku
 2005&06 I s 2009&10

(करोड़ रु. में)

Ø-	{ks=@mi {ks=	okLrfod			i wkLpku		
		2004-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I kekl; I ok, a						
i)	राज्य के अंग	68.66	78.96	90.80	104.42	120.09	138.10
ii)	राजकोषीय सेवाएं	114.34	124.58	135.75	147.91	161.16	175.60
iii)	ब्याज भुगतान एवं ऋण परिशोधन	1359.91	1509.50	1675.55	1859.86	2064.44	2291.53
iv)	प्रशासकीय सेवाएं	417.03	456.36	499.39	546.48	598.02	654.41
v)	पेंशन	534.03	581.72	633.67	690.25	751.89	819.04
	dy I kekl; I ok, a	2493.97	2751.12	3035.15	3348.92	3695.60	4078.68
2.	I keft d I ok, a						
i)	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1136.41	1477.33	1920.53	2496.69	3245.70	4219.41
ii)	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	277.60	347.00	433.75	542.19	677.73	847.17
iii)	जल आपूर्ति एवं साफ सफाई	158.45	190.14	228.17	273.80	328.56	394.27
iv)	आवास एवं नगरीय विकास	69.77	90.70	117.91	153.28	199.27	259.05
v)	श्रम एवं रोजगार	24.79	28.51	32.78	37.70	43.36	49.86
vi)	अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग	460.97	507.07	557.77	613.55	674.91	742.40
vii)	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं पोषाहार	284.85	370.31	481.40	625.82	813.56	1057.63
viii)	प्राकृतिक आपदा राहत	6.58(96*)	100.80	105.84	111.13	116.69	122.52
ix)	अन्य	11.53	13.07	14.82	16.81	19.06	21.61
	dy I keft d I ok, a	2430.95	3124.93	3892.98	4870.98	6118.84	7713.93
3.	3- vkfkd I ok, a						
i)	कृषि एवं संबद्ध क्रियाएं	965.57	1206.96	1508.70	1885.88	2357.35	2946.69
ii)	ग्रामीण विकास	440.58	537.51	655.76	800.03	976.03	1190.76
iii)	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	120.51	126.54	132.86	139.51	146.48	153.80
iv)	ऊर्जा	153.97	169.37	186.30	204.93	225.43	247.97
v)	उद्योग एवं खनिज	60.76	75.95	94.94	118.67	148.34	185.42
vi)	परिवहन	161.62	169.70	178.19	187.10	196.45	206.27
vii)	अन्य	22.62	40.72	73.29	131.92	237.46	427.42
	dy vkfkd I ok, a	1925.63	2326.74	2830.04	3468.03	4287.53	5358.34
4.	LFkku; fudk;	252.50	328.25	426.73	554.74	721.17	937.51
5.	dy jktLo 0; ; i wkLpku	7103.05	8146.49	9343.21	10715.72	12289.86	14095.25
6.	dy jktLo 0; ; dy 0; ; ds % ea	83.61	76.68	75.83	75.16	74.66	74.36
7.	jktLo 0; ; i jk-?k-m-ds % ea	16.15	16.44	16.63	16.94	17.38	17.98

टीप : * पूर्वानुमान आधार (96) तीन वर्ष (2003-04 से 2005-06) औसत

सारणी क्र. 7.13
 foHkUu I okvka dk jktLo 0; ; dy jktLo 0; ; ds ifr'kr ea
 ½2001&02 I s 2009&10½

(% में)

o"K	I keU; I ok; a	I keft d I ok; a	vkfKd I ok; a	LFkkuh; fudk;	jktLo 0; ;] dy 0; ; ds % ea
1	2	3	4	5	6
2001-02	34.94	38.95	23.41	2.70	89.82
2002-03	33.25	37.73	26.10	2.92	86.29
2003-04	32.64	34.37	29.05	3.94	80.75
2004-05	35.11	34.22	27.11	3.55	83.61
2005-06	32.25	36.63	27.27	3.85	76.68
2006-07	29.80	38.22	27.79	4.19	75.83
2007-08	27.25	39.79	28.33	4.53	75.16
2008-09	24.93	41.28	28.92	4.87	74.66
2009-2010	22.55	42.65	29.62	5.18	74.36

सारणी क्र. 7.14
 foHkUu I okvka dk jktLo 0; ; I -jk-?km ds ifr'kr ea
 ½2001&02 I s 2009&10½

(% में)

o"K	I keU; I ok; a	I keft d I ok; a	vkfKd I ok; a	LFkkuh; fudk;	jktLo 0; ;] I - jk-?km-ds % ea
1	2	3	4	5	6
2001-02	5.81	6.48	3.89	0.45	16.61
2002-03	5.82	6.61	4.57	0.51	17.51
2003-04	5.78	6.09	5.14	0.70	17.71
2004-05	5.67	5.53	4.38	0.57	16.15
2005-06	5.30	6.02	4.48	0.63	16.44
2006-07	4.96	6.36	4.62	0.70	16.63
2007-08	4.63	6.74	4.80	0.77	16.94
2008-09	4.33	7.18	5.03	0.85	17.38
2009-2010	4.05	7.67	5.33	0.93	17.98

सारणी क्र. 7.15
 पुरि लकक इर 0; fDr jktLo 0; ;
 2001&02] 2004&2005 , oa2009&10½

(रु. में)

Ø-	l dk; a	2001-02	2004-05	2009-10	2009&10 ea 2004&05 ij % of)
1	2	3	4	5	6
1.	सामान्य सेवायें	244.19	267.87	623.49	132.76
2.	सामाजिक सेवायें	902.76	1085.25	3148.54	190.12
3.	शिक्षा	327.61	507.33	1722.21	239.47
4.	सार्वजनिक स्वास्थ्य	109.22	123.93	345.78	179.02
5.	जल आपूर्ति एवं साफ-सफाई	69.06	70.74	160.93	127.49
6.	आर्थिक सेवायें	542.73	859.66	2187.08	154.41

(सामान्य सेवाओं में ब्याज भुगतान एवं पेंशन शामिल नहीं है)

सारणी क्र. 7.16
 jkT; dk i pthxr 0; ; & okLrfod , oa i wkLupk fur
 2001&02 l s 2009&10½

o"K	i pthxr 0; ; (करोड़ रु.)	dy 0; ; dk %	l -jk-?k-m- dk %
1	2	3	4
2001-02	557.13	10.18	1.89
2002-03	878.59	13.71	2.78
2003-04	1573.18	19.25	4.22
2004-05	1392.17	16.39	3.17
2005-06	2594.98	23.32	5.00
2006-07	3245.80	24.17	5.30
2007-08	4046.84	24.84	5.60
2008-09	5034.09	25.32	5.90
2009-2010	6238.55	25.64	6.20

सारणी क्र. 7.17
 i pthxr 0; ; dk fofhku {ks=ka dks vkca/u
 1/2001&02 I s 2005&06½

o"l	{ks=	dy i pthxr 0; ; dk %				
		2001-02	02-03	03-04	04-05	05-06
1	2	3	4	5	6	7
1.	सामान्य सेवायें	3.60	2.19	1.39	2.10	1.68
2.	सामाजिक सेवायें	19.11	15.57	11.79	18.37	20.98
3.	आर्थिक सेवायें	62.77	75.55	51.38	71.41	59.79
4.	ऋण एवं अग्रिम	14.52	6.69	35.45	8.12	17.54

सारणी क्र. 7.18
 i pthxr 0; ; ds ioklupeku&l ewj okj
 1/2005&06 I s 2009&10½

(करोड़ रु. में)

Ø-	dy dk %	% Of Total	2005-06	06-07	07-08	08-09	09-10
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सामान्य सेवायें	2%	51.90	64.92	80.94	100.62	124.77
2.	सामाजिक सेवायें	19%	493.05	616.70	768.90	955.91	1185.32
3.	आर्थिक सेवायें	68%	1764.59	2207.14	2751.85	3421.14	4242.21
4.	ऋण एवं अग्रिम	11%	285.45	357.04	445.15	553.42	686.24
; ksx		100%	2594.98	3245.80	4046.84	5031.09	6238.55

सारणी क. 7.19
 i p t h x r 0 ; ; d s i w k l u p e k u
 ¼ k e f t d l o k v k a d s 0 ; f D r x r ? k V d ½
 ½ 2005 & 06 l s 2009 & 10 ½

(करोड़ रु. में)

Ø-	en	% Of Total	2005-06	06-07	07-08	08-09	09-10
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4.00%	103.80	129.83	161.87	201.24	249.54
2.	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3.00%	77.85	97.37	121.41	150.93	187.16
3.	आवास एवं नगर विकास	3.47%	90.05	112.63	140.43	174.58	216.48
4.	अनुसूचित जाति, जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	5.07%	131.57	164.56	205.17	255.08	316.29
5.	जल आपूर्ति एवं सफाई	1.93%	50.08	62.64	78.10	97.10	120.40
6.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं पोषाहार	1.51	39.18	49.04	61.11	75.97	94.20
7.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.02%	0.52	0.65	0.81	1.01	1.25
	; k s x	19%	493.05	616.70	768.90	955.91	1185.32

सारणी क. 7.20
 i p t h x r 0 ; ; d s i w k l u p e k u
 ¼ k f f k d l o k v k a d s 0 ; f D r x r ? k V d ½
 ½ 2005 & 06 l s 2009 & 10 ½

(करोड़ रु. में)

Ø-	en	d y d k %	2005-06	06-07	07-08	08-09	09-10
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कृषि एवं संबद्ध क्रियाएं	3.20%	83.04	103.87	129.50	160.99	199.63
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	37.60%	975.71	1220.42	1521.61	1891.69	2345.69
3.	ग्रामीण विकास	2.73%	70.84	88.61	110.48	137.35	170.31
4.	परिवहन	22.77%	590.88	739.07	921.47	1145.58	1420.52
5.	ऊर्जा	0.90%	23.35	29.21	36.42	45.28	56.15
6.	उद्योग एवं खनिज	0.69%	17.91	22.40	27.92	34.71	43.05
7.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.11%	2.85	3.57	4.45	5.53	6.86
	; k s x	68.00%	1764.59	2207.14	2751.85	3421.14	4242.21